

Public International Law

Introduction

* "अंतर्राष्ट्रीय कानून" (International law) शब्द का इस्तेमाल पहली बार अंग्रेजी दार्शनिक जेरेमी बेंथम (English philosopher Jeremy Bentham) ने 1780 में अपने ग्रंथ " Introduction to the Principles of Morals and Legislation " शीर्षक से किया था। 1840 के बाद से, इस शब्द ने पुरानी शब्दावली "राष्ट्रों के कानून" (law of nations) को बदल दिया।
* अंतर्राष्ट्रीय कानून को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है: निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून –- Private International Law -- (कानूनों का टकराव –conflict of laws-, जैसा कि इसे कॉमन लॉ सिस्टम के देशों में कहा जाता है),

और

* सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून — Public International law-- (आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून कहा जाता है)

Definition of Public international law (सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून)

* नियमों का निकाय (body of rules) जो राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अन्य राज्यों (States), अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (international organization), व्यक्तियों (individuals) और अन्य संस्थाओं   
  (other organisations) के साथ बातचीत में कानूनी रूप से बाध्यकारी (legally binding) है। इसमें कई प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं; जैसे, राजनयिक संबंध (diplomatic relations), युद्ध का संचालन (conduct of war), व्यापार (trade), मानव अधिकार (human rights) और समुद्री संसाधनों का साझाकरण (sharing of oceanic resources).
* परंपरागत (Traditionally) रूप से, अंतर्राष्ट्रीय कानून ने राज्यों के बीच बातचीत (interaction between states) को विनियमित (regulated) किया। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून निर्धारित करता है कि एक राज्य विदेशी राजनयिकों (foreign diplomats) के साथ कैसा व्यवहार करता है जो उसके देश में हैं या राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौतों (agreement between states) को कैसे विनियमित (regulate) किया जाना है।

Nature and Basis of International Law

1. अंतर्राष्ट्रीय कानून (International Law) को उन देशों के बीच संधियों (treaties), नियमों (rules) और समझौतों (agreements) के सेट के रूप में माना जा सकता है जो उनके बीच बाध्यकारी (binding) हैं (International Law can be considered as treaties, set of rules and agreements between countries that are binding between them)
2. अंतर्राष्ट्रीय कानून यह बताता है कि राष्ट्रों को अन्य देशों के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए। (International Law governs how nations must interact with other nations)
3. यह क्षेत्राधिकार (jurisdiction) के मुद्दे को विनियमित (regulate) करने में अत्यंत उपयोगी है (It is extremely useful in regulating the issue of jurisdiction which arises when people trade among different States.)

Weakness of International Law

1. अंतर्राष्ट्रीय कानून की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसके प्रभाव को लागू करने के लिए एक प्रभावी कार्यकारी प्राधिकरण का अभाव है (lacks effective executive authority)
2. प्रभावी विधायी मशीनरी का अभाव (lacks effective legislative machinery): - चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय संधियों (international treaties) और   
   अभिसमय (conventions) पर आधारित हैं। इसलिए इनकी व्याख्या (interpreted) राज्यों द्वारा अपने स्वार्थ (self-interest of states) के अनुसार की जाती है।
3. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ (International court of Justice) के अनिवार्य अधिकार क्षेत्र ( lacks compulsory jurisdiction) का अभाव है: - ICJ (नीदरलैंड) में स्थित है, सभी राज्यों के मामलों को लेने के लिए अधिकृत नहीं है (not authorised to take cases of all states)। इस अदालत में संबंधित राज्यों की आपसी सहमति से मामले दायर किए जा सकते हैं। (cases can be filed in this court with the mutual consent of concerned states)
4. प्रभावी प्रतिबंधों की कमी के कारण (lack of effective sanctions), अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का अक्सर उल्लंघन होता है(rules of international law are frequently violently )
5. आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के अधिकार में कमी (Lack in right to intervene in Internal Affairs) - संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 2 (7) के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ राज्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप (UNO is not competent to interfere in the domestic matters of states) करने के लिए सक्षम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कई मामलों में इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून अप्रभावी और कमजोर साबित होता है

Codification and Development of International law

आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून (Modern International law) की उत्पत्ति पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी में यूरोप में पवित्र रोमन साम्राज्य के विघटन (disintegration of holy roman empire) के बाद हुई है। यह शुरू में यूरोपीय राज्यों के usages और प्रथागत प्रथाओं (customary practices) से उनके पारस्परिक समागम (mutual intercourse) से बाहर हो गया और उस विशिष्ट अवधि के दौरान यूरोप में प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों (affected by the political theories prevalent in europe) से प्रभावित था।

Codification/Codification Process relating to International Law (अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित संहिताकरण / संहिताकरण प्रक्रिया)

ओपेनहेम (Oppenheim) के अनुसार, "राष्ट्रों का कानून या अंतर्राष्ट्रीय कानून उन प्रथागत और पारंपरिक नियमों के शरीर (body of customary and conventional rules) का नाम है, जिन्हें सभ्य राज्यों (civilized society) द्वारा एक-दूसरे के साथ समागम में बाध्य माना जाता है"

Meaning of Codification

* "संहिताकरण (codification) आमतौर पर कानून की एक शाखा के आम तौर पर मौजूदा सिद्धांतों को लागू करने की प्रक्रिया को लागू करने में सक्षम बनाता है जो कि अधिनियमन और संदर्भ में सक्षम ) process of reducing the generally existing principles of a branch of law into a Code capable of enactment and reference) है।
* इसका उद्देश्य किसी दिए गए विषय पर कानून के नियमों को एक व्यवस्थित तरीके से रखना और सभी प्रावधानों को स्पष्ट करना है, और बदले हुए नियमों के अनुसार नियमों को संशोधित करना भी है। (aims at putting together the rules of law on a given subject in a systematic manner making its provisions clearer by removing all lacunas, and also modifying the rules in accordance with the changed conditions)

The Hague Conferences

* प्रथम विश्व युद्ध से पहले सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि 1889 और 1907 के हेग सम्मेलनों में थी और तटस्थता के नियमों से संबंधित थी (relating to the laws of was and neutrality)

The London Declaration

* 1909 में आयोजित लंदन घोषणा पर ऑस्ट्रिया, हंगरी, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अधिकांश महान शक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे। घोषणा ने बड़े पैमाने पर वर्तमान कानूनों को दोहराया, लेकिन कई विवादास्पद बिंदुओं के साथ निपटा गया:

1.नाकेबंदी (Blockades)

2. कंट्राबेंड और पुरस्कार (Contraband and prize)

3. तटस्थ संस्थाओं के अधिकार (Rights of neutral entities)

The League of Nations

* वर्ष 1930 में तैयार राष्ट्र संघ ने नीदरलैंड के हेग में एक संहिता सम्मेलन का आयोजन किया (convened a Codification Conference at The Hague, Netherlands)। लीग परिषद ने 1924 में परिषद की रिपोर्ट करने के लिए सोलह न्यायविदों की एक समिति नियुक्त की, जिन विषयों पर विचार किया जाना था, मुख्य रूप से:

1. राष्ट्रीयता (Nationality),
2. प्रादेशिक जल (Territorial Waters)
3. विदेशियों के व्यक्तियों या संपत्ति को उनके क्षेत्र में हुए नुकसान के लिए राज्य की जिम्मेदारी (State Responsibility for damage done in their territory to the persons or property of foreigners,),
4. राजनयिक प्रतिरक्षा और विशेषाधिकार (Diplomatic immunities and privileges),
5. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रक्रिया और संधियों के समापन और प्रक्रिया के लिए प्रक्रिया (Procedure of International Conference and Procedure for the conclusion and drafting of treaties),
6. समुद्र के उत्पादों का शोषण (Exploitation of the products of the sea), और
7. समुद्री डकैती (Piracy)

Establishment of the United Nations

* अंतर्राष्ट्रीय कानून को संहिताबद्ध करने के प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations) की स्थापना के साथ एक उत्साह मिला। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने इस कार्य को महासभा (general assembly) को सौंप दिया।
* "महासभा अध्ययन आरंभ करेगी और राजनीतिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिफारिशें करेगी 'और अंतर्राष्ट्रीय कानून और इसके संहिताकरण के प्रगतिशील विकास को प्रोत्साहित करेगी ‘(promoting international cooperation in the political field’ and encouraging the progressive development of International Law and its Codification)'
* अंतर्राष्ट्रीय कानून के संहिताकरण के संबंध में, आयोग ने मोटे तौर पर तीन अवधारणाओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया:

1. संधियों का नियम (Law of Treaties)
2. पंचाट प्रक्रिया (Arbitral Procedure)
3. उच्च सागरों से संबंधित कानून (Law relating to High Seas)

Relationship between international law and municipal law

* अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के संबंधों में और अंतर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय या राज्य कानून के अन्य विषयों के लिए लागू किया जाता है (International Law is applied in the relations of the States and to other subjects of International Law)।
* राष्ट्रीय या राज्य कानून जिसे नगरपालिका कानून (Municipal law) कहा जाता है, एक राज्य के भीतर व्यक्तियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए लागू किया जाता है जो अधिकारों और कर्तव्यों के वाहक होते हैं (is applied within a state to the individuals and corporate entities which are bearers of rights and duties thereunder)। अंतर्राष्ट्रीय कानून और नगरपालिका कानून के नियमों के बीच संबंध की समस्या कानूनी सिद्धांत के सबसे विवादास्पद प्रश्नों में से एक है और वर्तमान में उनके संबंध के निर्धारण ने व्यावहारिक महत्व भी हासिल कर लिया है।
* मूल रूप से दोनों कानूनों के बीच संबंध सैद्धांतिक महत्व (matter of theoretical importance) का मामला था, अर्थात्, क्या राष्ट्र के कानून और नगरपालिका कानून एक सार्वभौमिक कानूनी आदेश के भाग हैं या वे कानून के दो अलग-अलग सिस्टम बनाते हैं (whether Law of Nations and Municipal law are parts of a universal legal order or they form two distinct systems of law)। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (International Tribunal) के सामने आता है, वह यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून नगरपालिका कानून पर प्रधानता लेता है, या इसके विपरीत (whether International Law takes primacy over municipal law, or vice versa.)।
* अंतर्राष्ट्रीय कानून और नगरपालिका कानून के संबंध के सवाल पर न्यायविदों के विचार अलग-अलग और भिन्न हैं क्योंकि कई सिद्धांत सामने आए हैं। उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं:

1. Dualistic Theory (द्वैतवादी सिद्धांत)- द्वैतवादी सिद्धांत के अनुसार, राष्ट्रों के कानून और कई राज्यों के नगरपालिका कानून दो अलग-अलग, विशिष्ट और स्व-निहित कानूनी प्रणालियां हैं (Law of nations and municipal laws of the several states are two separate, distinct and self-contained legal systems. )। अलग-अलग प्रणालियाँ होने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी राज्य के आंतरिक कानून का हिस्सा नहीं होगा (Being distinct systems, International Law would not as such form part of the internal law of a state.)

2. Transformation or Specific Adoption Theory (परिवर्तन या विशिष्ट दत्तक सिद्धांत)

यह द्वैतवादी अवधारणा पर आधारित है। यह सिद्धांत कहता है कि, अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई भी नियम, अपने बल से, नगरपालिका अदालतों द्वारा लागू किए जाने का दावा नहीं कर सकता है, जब तक कि वे परिवर्तन की प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं और विशेष रूप से नगरपालिका अदालतों और प्रणालियों द्वारा अपनाए जाते हैं (theory says that, no rules of international law, by its own force, can claim to be applied by municipal courts, unless they undergo the process of transformation and be specifically adopted by the municipal courts and systems)। अंतरराष्ट्रीय कानून के नियम केवल राष्ट्रीय कानून का हिस्सा हैं, यदि विशेष रूप से अपनाया जाता है (rules of international law are part of national law only if specifically-adopted)।

3. Delegation theory (प्रतिनिधि सिद्धांत)

यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक राज्य संविधान को "अंतरराष्ट्रीय संधियों के संवैधानिक नियम" (Constitutional rules of international treaties) कहे जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के अनुसार अधिकार दिया गया है, जो प्रत्येक राज्य को यह तय करने या निर्धारित करने की अनुमति देता है कि अंतरराष्ट्रीय संधि या अभिसमय के प्रावधान कैसे हो। यह उस तरीके को भी प्रदान करता है जिससे उन्हें राज्य कानून में लागू किया जाए। (permit each state to decide or determine for itself as to how and when the provisions of international treaty or convention are to come into force and in what manner they are to be implemented or embodied into State law.

4. Monistic Theory (एकात्मक सिद्धांत/ अद्वैत सिद्धांत)

इस सिद्धांत के अनुसार, कानूनी व्यवस्था का केवल एक सेट मौजूद है, यानी घरेलू कानूनी व्यवस्था (there exists only one set of legal system, i.e., the domestic legal order)। इस सिद्धांत के प्रतिपादक इस बात से इनकार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून का विशिष्ट और स्वायत्त निकाय है (International Law is distinct and autonomous body of law)। इस सिद्धांत को ऑस्ट्रियाई ज्यूरिस्ट, केल्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। Monists का कहना है कि नगरपालिका कानून (Municipal Law) के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून (International law) एक सार्वभौमिक कानूनी प्रणाली के अंग हैं जो मानव समुदाय की जरूरतों को एक तरह से या दूसरे तरीके से पूरा करते हैं। (are parts of one universal legal system serving the needs of the human community in one way or the other)

Subjects of International law

* अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक विषय एक व्यक्ति (संस्था) है, जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यक्तित्व है, अर्थात्, अंतर्राष्ट्रीय अधिकार और दायित्व रखने में सक्षम है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रकार की कार्रवाई करने की क्षमता रखता है (subject of International Law is a person (entity) who possesses international legal personality, i.e., capable of possessing international rights and obligations and having the capacity to take certain types of action on the international level)।
* अंतर्राष्ट्रीय कानून के इन व्यक्तियों और विषयों पर निम्नलिखित में चर्चा की जाती है:

1. States (राज्य)

राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल और प्रमुख विषय (original and major subjects of International Law) हैं। उनके कानूनी व्यक्तित्व अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की प्रकृति और संरचना से प्राप्त होते हैं (legal personalities derive from the very nature and structure of the international system )। सभी राज्य, संप्रभु समानता के सिद्धांत के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यक्तित्व की समान डिग्री का आनंद लेते हैं (States, by virtue of the principle of sovereign equality, enjoy the same degree of international legal personality)।

1. International Organisations (अंतरराष्ट्रीय संगठन)

एक अंतरराष्ट्रीय संगठन राज्यों का एक संघ है, जो दो या अधिक राज्यों के बीच एक संधि द्वारा स्थापित है(international organization is an association of States, established by a treaty between two or more States )। इसके कार्य राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हैं। यह कुछ उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय है (for certain purposes a subject of International Law)

1. Non-State Entities (गैर-राज्य संस्थाएँ)

कुछ निश्चित संस्थाएँ हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत व्यक्तित्व का एक निश्चित और सीमित विशेष प्रकार का व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है। ऐसी संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कुछ अधिकार और कर्तव्य हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (International convention) में भाग ले सकते हैं और संधि संबंधों (treaty relations) में प्रवेश कर सकते हैं। ये संस्थाएँ निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:

1. रचित राज्यों या संघीय राज्यों के सदस्य (Members of composed States or federal States)
2. विद्रोही और युद्धरत (Insurgents and Belligerents)
3. राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन (National liberation movements)
4. अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र (International territories)

4 .Special case entities (विशेष मामला इकाई)

अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दो विशेष केस इकाइयाँ विशेष विशिष्ट दर्जा रखती हैं; वे माल्टा के सॉवरेन ऑर्डर और होली सी और वेटिकन सिटी हैं

1. Individuals (व्यक्ति)

व्यक्तियों को इस कानून के प्रतिभागियों और विषयों के रूप में मान्यता दी गई है। यह मुख्य रूप से मानवाधिकार कानून और मानवतावादी कानून के विकास के माध्यम से हुआ है जो पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास के साथ आता है।

Nationality (राष्ट्रीयता)

* राष्ट्रीयता का तात्पर्य राजनीतिक अधिकारों और इसके साथ अन्य विशेषाधिकारों के अलावा किसी राष्ट्र या संप्रभु राज्य की सदस्यता से है (nationality refers to the membership of a nation or a sovereign state in addition to the political rights and other privileges accompanied with it)
* व्यक्तिगत व्यक्ति, निगम, जहाज और विमान, सभी में एक राष्ट्रीयता होती है, लेकिन केवल कानूनी उद्देश्यों के लिए।(individual persons, corporations, ships and aircrafts, all have a nationality, but for legal purposes only)

Main theories related to Nationality (राष्ट्रीयता से संबंधित मुख्य सिद्धांत)

1. Active Nationality Theory (सक्रिय राष्ट्रीयता का सिद्धांत)

* यह बताता है कि एक राज्य अपने नागरिकों पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त करता है, भले ही वे एक विदेशी क्षेत्र में हों। निजी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते समय, राष्ट्रीय कानून हमेशा एक व्यक्ति का पालन सीमाओं से परे करते हैं जहां तक उसकी निजी स्थिति का संबंध है (he national laws always tend to follow an individual beyond the boundaries as far as his personal status is concerned)।

1. Passive Nationality theory (निष्क्रिय राष्ट्रीयता सिद्धांत)

एक राज्य कई बार विदेशी नागरिकों पर अतिरिक्त अधिकार क्षेत्र (extra territorial jurisdiction) मान लेता है, यदि उस व्यक्ति को जिसने उस राष्ट्रीयता के लिए नुकसान का सामना किया हो। निष्क्रिय राष्ट्रीयता की कवायद के पीछे का विचार यह है कि विदेशी राज्य अपराधी को दंडित करने में विफल होने की स्थिति में अपने नागरिकों को हुई क्षति से बचाने के लिए किसी राज्य के कर्तव्य को पूरा करें (idea behind the exercise of passive nationality is to fulfil the duty of a state to protect its nationals from the damage suffered by them in case the alien state fails to punish the offender)।

Acquisition of Nationality (राष्ट्रीयता का अधिग्रहण)

1. Nationality by Birth - जन्म से राष्ट्रीयता
2. By descent - वंश से (This is known as the principle of Jus Sanguinis – Right of blood)
3. By Naturalization – देशीकरण द्वारा
4. Nationality by Marriage- विवाह द्वारा राष्ट्रीयता
5. Nationality by Adoption - दत्तक ग्रहण द्वारा राष्ट्रीयता
6. Nationality by Cessation - समाप्ति द्वारा राष्ट्रीयता

Extradition (प्रत्यर्पण)

* प्रत्यर्पण एक राज्य की औपचारिक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को किसी दूसरे राज्य में अभियोजन के लिए आत्मसमर्पण करने या अनुरोध करने वाले देश के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अपराधों के लिए सजा देता है। यह आम तौर पर एक द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधि द्वारा सक्षम है। कुछ राज्य संधि के बिना प्रत्यर्पण करेंगे, लेकिन वे मामले दुर्लभ हैं (Extradition is the formal process of one state surrendering an individual to another state for prosecution or punishment for crimes committed in the requesting country’s jurisdiction. It typically is enabled by a bilateral or multilateral treaty. Some states will extradite without a treaty, but those cases are rare)
* प्रत्यर्पण की प्रक्रिया दो कारकों के अधीन है:

1. एक बाध्यकारी प्रत्यर्पण समझौते का अस्तित्व और (existence of a binding extradition agreement)
2. देश के नगरपालिका कानून, जिनसे प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जा रहा है। (municipal laws of the country from which the extradition is being requested)

Asylum (शरण)

* ‘शरण’ शब्द लैटिन है और ग्रीक शब्द ‘asylia’ से लिया गया है, जिसका अर्थ है हिंसात्मक स्थान। यह शब्द उन मामलों को संदर्भित करता है जहां प्रादेशिक राज्य किसी व्यक्ति को अनुरोध करने वाले राज्य को आत्मसमर्पण करने के लिए मना करता है और अपने स्वयं के क्षेत्र में आश्रय और सुरक्षा प्रदान करता है।

The word asylum is Latin and derived from the Greek word ‘Asylia’ which means inviolable place. The term is referred to those cases where the territorial State declines to surrender a person to the requesting state and provides shelter and protection in its own territory.

Definition:

According to Starke, the conception of asylum in International law involves two elements  
1. आश्रय, जो केवल अस्थायी शरण से अधिक है (Shelter, which is more than merely temporary refuge)   
2. शरण के क्षेत्र के नियंत्रण में अधिकारियों की ओर से सक्रिय सुरक्षा की एक डिग्री (A degree of active protection on the part of the authorities in control of the territory of asylum)

Kinds/ Types of Asylum:  
There are two types of Asylum are as follows:  
A) Territorial Asylum (प्रादेशिक शरण)  
B) Extra-territorial Asylum (अतिरिक्त-क्षेत्रीय शरण)

Recognition of state and government

Meaning of Recognition (मान्यता):

* According to Phillip Jessup, मान्यता का अर्थ है कि एक मौजूदा राज्य किसी अन्य राज्य की राजनीतिक इकाई को ओवरट या गुप्त अधिनियम द्वारा स्वीकार करता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि मान्यता न तो एक संविदात्मक व्यवस्था है और न ही राजनीतिक रियायत है। यह कुछ तथ्यों के अस्तित्व की घोषणा है ( recognition means that an existing State acknowledges the political entity of another State, by overt or covert act. It may be noted that recognition is neither a contractual arrangement nor a political concession. It is a declaration of the existence of certain facts.)
* Montevideo Convention, 1933 has said that the State should possess qualifications:

स्थायी आबादी, निश्चित क्षेत्र सरकार और अन्य राज्यों के साथ संबंधों में प्रवेश करने की क्षमता। जब किसी राज्य में इन विशेषताओं (राज्य का) का कब्ज़ा अन्य मौजूदा राज्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो इसे राज्य की मान्यता के रूप में जाना जाता है

Permanent population, definite territory Government, and capacity to enter into relations with other States. When possession of these attributes (of Statehood) in a State is acknowledged by other existing States, it is known as recognition of a State)

Theories of Recognition

1. Constitutive Theory (संवेदी सिद्धांत)

* इस सिद्धांत के अनुसार, एक इकाई राज्य सत्ता के आवश्यक गुणों को धारण करके राज्य नहीं बनती है; ऐसा तब होता है, जब अन्य राज्य इसे मान्यता देते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अन्य राज्य मान्यता प्रदान करके किसी राज्य के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इस सिद्धांत की वकालत हेगेल, अंजिलोटी, ओपेनहेम आदि ने की है। मान्यता के अधिनियम को स्पष्ट रूप से कानूनी अधिनियम के रूप में परिभाषित किया गया है, नए राज्यों को मान्यता देने का कानूनी अधिकार है और राज्यों को उन्हें पहचानने का कानूनी कर्तव्य है।

According to this theory, an entity does not become a State by possessing essential attributes of Statehood; it becomes so, when other States recognizes it. It implies at other States constitute the personality of a State by granting recognition. This theory has been advocated by Hegel, Anzilloti, Oppenheim, etc. The act of recognition is defined as, a clearly legal act, with new States having the legal right to be recognized and established States having the legal duty to recognize them.

1. Declaratory/Evidentiary Theory (घोषणा / साक्ष्य सिद्धांत)

* इस सिद्धांत के अनुसार, मान्यता के पहले और स्वतंत्र रूप से राज्य सरकार या नई सरकार का अधिकार मौजूद है। मान्यता केवल एक औपचारिक स्वीकृति है जिसके माध्यम से स्थापित तथ्यों को स्वीकार किया जाता है। मान्यता का कार्य एक मौजूदा तथ्य का केवल घोषणापत्र या सबूत है कि एक विशेष राज्य या सरकार के पास अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत आवश्यक विशेषताएं हैं। मान्यता केवल इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह नए राज्य को अन्य राज्यों के साथ आधिकारिक संभोग में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है। इस सिद्धांत की वकालत हॉल, वैगनर, ब्रियरली, फिशर आदि ने की है। राज्यों को मान्यता मिलने के बाद भी राज्यों को मान्यता देना कोई कानूनी कर्तव्य नहीं है।

According to this theory, Statehood or the authority of the new government exists as such prior to and independently of recognition. Recognition is merely a formal acknowledgement through which established facts are accepted. The act of recognition is merely declaratory or evidence of an existing fact that a particular State or government possesses the essential attributes as required under international law. Recognition is necessary only because it enables new State to enter into official intercourse with other States. This theory has been advocated by Hall, Wagner, Brierly, Fisher, etc. There is no legal duty to recognize States even after it has attained statehood.

Modes of Recognition (मान्यता का तरीका): De facto and De jure Recognition

* Recognition may be of two kinds: de facto recognition and de jure recognition. दोनों में, मान्यता एक ऐसा उद्देश्य है जो कानूनी अधिकारों और दायित्वों को जन्म देने के लिए निर्धारित या गणना की जाती है। (In both, recognition is an act intended or calculated to give rise to legal rights and obligations.)
* Recognition of Insurgency, Belligerency and Government-in-Exile
* एक सामान्य सिद्धांत के रूप में, राज्य दूसरे राज्य के घरेलू मामलों में गैर-हस्तक्षेप की नीति बनाए रखते हैं। एक चरण तब आ सकता है जब विद्रोही क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर प्रभावी कब्जे में हों और उस क्षेत्र में व्यायाम प्राधिकरण। इन परिस्थितियों में, तीसरा राज्य, बिना औपचारिक ऐलान किए और बगावत करने वाले बलों के अधिकारों को स्वीकार किए बिना, उन्हें कानून तोड़ने वालों के रूप में व्यवहार करने से परहेज करते हैं, और उन्हें अपने कब्जे में क्षेत्र में वास्तविक अधिकार के रूप में मानते हैं। इस तरह का रवैया तीसरे राज्यों द्वारा अपने नागरिकों, उनके वाणिज्यिक हितों, आदि की सुरक्षा के लिए आवश्यक विद्रोही संबंधों को बनाए रखने के लिए अपनाया जाता है

As a general principle, States maintain a policy of non-interference in the domestic affairs of another State. A stage may come when rebels are in effective occupation of a large part of the territory and exercise authority in that territory. In these circumstances, third States, without making a formal pronouncement and without conceding to the rebellion forces belligerent rights, refrain from treating them as law-breakers, and consider them as the de facto authority in the territory under their occupation. Such attitude is adopted by the third States to maintain with rebels relations deemed necessary for the protection of their nationals, their commercial interests, etc.)

Estrada Doctrine (No Necessity of Recognition)

- The Estrada doctrine आमतौर पर समझा जाता है कि राज्य की मान्यता प्राप्त होने के बाद सरकार की मान्यता अनावश्यक है। प्रोफेसर रिचर्ड बैक्सटर ने सुझाव दिया कि मान्यता कानून का एक संस्थान है जो इसे हल करने की तुलना में अधिक समस्याओं का कारण बनता है और इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

Doctrine is generally understood to mean that recognition of government is unnecessary once the State has been recognized. Professor Richard Baxter suggested recognition is an institution of law that causes more problems than it solves it and therefore must be rejected.)

* कई राज्यों ने संकेत दिया कि उन्होंने पारंपरिक मान्यता नीतियों को छोड़ दिया और एस्ट्रा सिद्धांत या कुछ समकक्षों को प्रतिस्थापित किया, जिनके द्वारा उन्होंने मान्यता के मुद्दे को उठाए बिना प्रभावी नियंत्रण में जो भी सरकार को स्वीकार किया था। हालांकि, सिद्धांत की आलोचना की गई है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों की अवहेलना करता है और इस क्षेत्र में व्यक्तिगत मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है।

A number of States indicated that they had abandoned traditional recognition policies and substituted the Estrada doctrine or some equivalent by which they accepted whatever government was in effective control without raising the issue of recognition. However, the doctrine has been criticized as it disregards the rules of international law and encourages individual appraisal in this field.

Withdrawal of Recognition (मान्यता वापस लेना)

* हालांकि मान्यता देने का कार्य राजनीतिक है, एक बार दी गई मान्यता डी जुरे है, आम तौर पर बोलना, अपरिवर्तनीय है। कला। मोंटेवीडियो कन्वेंशन, 1933 में से 6 ने यह भी घोषित किया कि डे ज्यूर की मान्यता unconditional and irrevocable 'है। यदि किसी राज्य का किसी अन्य राज्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं है, तो वह अन्य कदम उठा सकता है, जिसमें राजनयिक संबंधों का टूटना भी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप मान्यता वापस नहीं ली जाती है। यहां तक ​​कि मान्यता को वास्तव में इतनी आसानी से वापस नहीं लिया जा सकता है कि इसके अवधारणा में बगावत स्वाभाविक है। हालांकि, de jure मान्यता को राज्य के आवश्यक तत्वों में से एक के गायब होने या सरकार की अप्रभावीता के मामले में प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है

Although the act of granting recognition is political, recognition de jure once granted is, generally speaking, irrevocable. Art. 6 of the Montevideo Convention, 1933, also declared that de jure recognition is ˜unconditional and irrevocable'. If a State does not have cordial relations with another State it may take other steps, including the rupture of diplomatic relations, which does not result in withdrawal of recognition. Even recognition de facto cannot be withdrawn so easily in spite of the fact that revocability is inherent in its concept. However, recognition de jure ceases to have effect in case of a definite disappearance of one of the essential elements of Statehood or ineffectiveness of the government.)

State Succession (राज्य उत्तराधिकार)

* राज्य उत्तराधिकार का तात्पर्य दो या दो से अधिक राज्यों के विलय से है। यह सरकारी उत्तराधिकार से इस मायने में अलग है कि सरकारी उत्तराधिकार में सरकार का परिवर्तन होता है जबकि राज्य के उत्तराधिकार में राज्य अपने आंशिक या पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण खो देता है। 1978 में संधियों के संबंध में राज्यों के उत्तराधिकार पर वियना कन्वेंशन Article 2 (1) (बी) राज्य उत्तराधिकार शब्द को परिभाषित करती है, 'क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए जिम्मेदारी में एक राज्य द्वारा दूसरे के प्रतिस्थापन' के रूप में।

State succession refers to the merging of two or more States. It is different from government succession in the sense that in government succession there’s a change of government whereas in State succession the State loses control over its partial or whole territory. Art 2(1)(b) of the Vienna Convention on the succession of States in respect of treaties in 1978 defines the term State succession as ‘the replacement of one State by another in the responsibility for the international relations of territory’.

Circumstances of State Succession (राज्य उत्तराधिकार की परिस्थितियाँ)

* राज्य उत्तराधिकार कई परिभाषित परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकता है, जो राजनीतिक संप्रभुता हासिल करने के तरीकों को प्रतिबिंबित करते हैं। वो हैं:
* सभी या किसी मौजूदा प्रादेशिक इकाई के हिस्से का विघटन: यह उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहां राष्ट्र आंशिक रूप से या पूरी तरह से एक श्रेष्ठ राष्ट्र की पकड़ से खुद को खत्म कर लेता है।
* मौजूदा राज्य का विघटन: यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जब पूर्ववर्ती राज्य का क्षेत्र दो या दो से अधिक नए राज्यों का क्षेत्र बन जाता है जो इसे संभालते हैं।
* अपगमन : यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां राज्य का एक हिस्सा मौजूदा राज्य से वापस लेने का फैसला करता है।
* अनुलग्नक: यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक राज्य दूसरे राज्य पर कब्जा कर लेता है।
* विलय: यह दो या दो से अधिक मुक्त राज्यों के संलयन को एक मुक्त राज्य में संदर्भित करता है।

State succession can arise in a number of defined circumstances, which mirror the ways in which political sovereignty may be acquired. They are:

* Decolonization of all or part of an existing territorial unit: This refers to situations where the nation partially or completely overcomes itself from the holding of a superior nation.
* The dismemberment of an existing State: This refers to a situation when the territory of the predecessor State becomes the territory of two or more new States who take over it.
* Secession: This refers to a situation where a part of the State decides to withdraw from the existing State.
* Annexation: This refers to a situation where a State takes possession of another State.
* Merger: This refers to the fusion of two or more free States into a single free State.

The Vienna Convention on State Succession provides that:

* सीमा संधियों के मामले में, ऐसा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं देखा जाएगा और संधियाँ उत्तराधिकारी राज्य को पारित करेंगी।
* यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बड़े हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसी प्रकार, भूमि, क्षेत्र, आदि से संबंधित स्थानीय संधियों के अन्य रूप भी उत्तराधिकारी के उत्तराधिकारी राज्य को पारित करेंगे।
* मानव अधिकारों से संबंधित संधियों को उत्तराधिकारियों को उनके सभी अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के साथ पारित किया जाता है। शांति या तटस्थता से संबंधित संधियों के मामले में, कोई उत्तराधिकार नहीं होता है।
* In case of the border treaties, no such significant changes would be observed and the treaties would pass to the successor State.
* This is done keeping in mind the greater interests of the International Community. Similarly, other forms of local treaties related to land, territory, etc. would also pass on to the successor State upon succession.
* Treaties relating to Human Rights are passed on to the successors with all their rights, duties and obligations. In the case of treaties relating to peace or neutrality, no succession takes place.

Rights and Duties arising out of State Succession ( राज्य उत्तराधिकार से उत्पन्न अधिकार और कर्तव्य)

* Political Rights and Duties (राजनीतिक अधिकार और कर्तव्य)
* राज्यों के राजनीतिक अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है।
* शांति संधियाँ या तटस्थता की संधियाँ, पिछली अवस्था में प्रवेश करती हैं, जो नए राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।
* लेकिन यहाँ एकमात्र अपवाद मानवाधिकार संधियों के मामले में है क्योंकि नए राज्य के लिए इस तरह की शर्तों का पालन करना वांछनीय होगा।
* इसके अलावा, नए राज्य को अपनी खुद की नई राजनीतिक संधियों में प्रवेश करना होगा।
* (No succession takes place with regard to political rights and duties of the States.
* The peace treaties or the treaties of neutrality entered into by the previous State aren’t binding on the new State.
* But the only exception here is in case of human rights treaties since it would be desirable for the new State to adhere to such terms.
* Other than this, the new State would have to enter into new political treaties of its own.)
* Rights of Natives or Local Rights (मूल निवासी या स्थानीय अधिकार)
* राजनीतिक अधिकारों और कर्तव्यों के विपरीत, राज्यों के उत्तराधिकार के साथ लोगों के स्थानीय अधिकार सुरक्षित नहीं होते हैं।
* ये अधिकार संपत्ति के अधिकार, भूमि के अधिकार या रेलवे, सड़क, पानी आदि से संबंधित अधिकारों जैसे अधिकारों को संदर्भित करते हैं।
* इन मामलों में, सफल राज्य विलुप्त होने वाले राज्य के कर्तव्यों, दायित्वों और अधिकारों से बंधे होते हैं।
* (Unlike the political rights and duties, the local rights of the people do not secede with the succession of the States.
* These rights refer to the rights such as property rights, land rights or rights relating to railways, roads, water etc.
* In cases like these, the succeeding States are bound by the duties, obligations and rights of the extinct State.)

* Fiscal Debts (State or Public Debts) (राजकोषीय ऋण (राज्य या सार्वजनिक ऋण)
* ये पूर्ववर्ती राज्य के वित्तीय दायित्वों या ऋणों को संदर्भित करते हैं। उत्तराधिकारी राज्य पूर्ववर्ती राज्य के ऋण का भुगतान करने के लिए बाध्य है।
* ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि नया राज्य ऋणों का लाभ उठा रहा है, तो यह एक नैतिक दायित्व बन जाता है कि वह धन का भुगतान करे।
* इसके बाद, यदि राज्य में कोई विभाजन होता है, तो पूरी ऋण राशि पूर्ववर्ती और उत्तराधिकारी राज्य के बीच विभाजित हो जाती है, जो प्रत्येक के क्षेत्र और जनसंख्या के अनुसार होती है।
* These refer to the financial obligations or debts of the predecessor State. The successor State is bound to pay back the debts of the predecessor State.
* This is because if the new State is enjoying the benefits of the loans, it becomes a moral obligation as well to pay back the money.
* Next, if there is a split in the State then the entire debt amount gets divided between the predecessor and successor State in accordance with the territory and population of each.

The Vienna Convention on State Succession provides that:

* सीमा संधियों के मामले में, ऐसा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं देखा जाएगा और संधियाँ उत्तराधिकारी राज्य को पारित करेंगी।
* यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बड़े हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसी प्रकार, भूमि, क्षेत्र, आदि से संबंधित स्थानीय संधियों के अन्य रूप भी उत्तराधिकारी के उत्तराधिकारी राज्य को पारित करेंगे।
* मानव अधिकारों से संबंधित संधियों को उत्तराधिकारियों को उनके सभी अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के साथ पारित किया जाता है। शांति या तटस्थता से संबंधित संधियों के मामले में, कोई उत्तराधिकार नहीं होता है।
* In case of the border treaties, no such significant changes would be observed and the treaties would pass to the successor State.
* This is done keeping in mind the greater interests of the International Community. Similarly, other forms of local treaties related to land, territory, etc. would also pass on to the successor State upon succession.
* Treaties relating to Human Rights are passed on to the successors with all their rights, duties and obligations. In the case of treaties relating to peace or neutrality, no succession takes place.

Diplomatic and Consular Law

* राजनयिक वे व्यक्ति होते हैं जो देश के प्रतिनिधि के रूप में विदेशों में निवास करते हैं, जिनके द्वारा वे तिरस्कृत होते हैं। वे देश के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं जो उन्हें तिरस्कृत करता है और जिनके द्वारा उन्हें मान्यता प्राप्त है। इसलिए, वे कूटनीति का कार्य करते हैं, जिसका अर्थ अंतर्राष्ट्रीय कानून में है, जिसके द्वारा राज्य आपसी संबंध बनाए रखते हैं या स्थापित करते हैं और अपनी विदेशी नीतियों के आधार पर अपने कानूनी या राजनीतिक लेनदेन को अंजाम देते हैं।
* राज्य, सरकार, विदेश संबंधों के मंत्री या राजनयिक एजेंटों के द्वारा कूटनीति का कार्य किया जा सकता है।

Diplomats are the persons who reside in foreign countries as the representative of the country by whom they are despatched. They act as a link between the country who despatch them and by whom they are accredited. Therefore, they perform the act of diplomacy, which in International Law means by which the States maintain or establish mutual relations and carry out their legal or political transactions based on their foreign policies.

Act of diplomacy may be performed by the head of State, Government, Minister of Foreign Relations or by and by diplomatic agents.

Law on Diplomatic agents (राजनयिक एजेंटों पर कानून)

* 1815 के वियना की कांग्रेस ने पहली बार कूटनीतिक प्रतिनिधियों के रैंक पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रथागत नियमों को संहिताबद्ध किया। 1815 के बाद और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद कूटनीति की संस्था का विकास जारी रहा, राजनयिक एजेंटों से संबंधित कानून के लिए संहिता बनाने का काम अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग को दिया गया था। आयोग ने मसौदा लेख तैयार किया और उन्हें महासभा को सौंप दिया। सभा ने 1961 में एक सम्मेलन बुलाया और राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन को अपनाया।

The Congress of Vienna of 1815 for the first time codified customary rules of International Law on ranks of diplomatic representatives. The institution of diplomacy continued to develop after 1815 and after the establishment of the United Nations, the task for codifying for the law relating to diplomatic agents was given to the International Law Commission. The Commission prepared the draft article and submitted them to General Assembly. The Assembly convened a conference in 1961 and adopted Vienna Convention on Diplomatic relations.

**Classification of Diplomatic agents ( राजनयिक एजेंटों का वर्गीकरण**

* राजनयिक एजेंट राज्य से मान्यता प्राप्त वर्ग में भिन्न होते हैं। राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन, 1961 के तहत अनुच्छेद 14 राजनयिक एजेंटों को तीन वर्गों में विभाजित करता है। वो हैं:
* राजदूतों को राज्य प्रमुख के रूप में मान्यता दी गई।
* दूतों, मंत्रियों को राज्य के प्रमुख के लिए मान्यता प्राप्त है।
* प्रभार के मामलों 'विदेश मामलों के मंत्रियों को मान्यता दी।

Diplomatic agents accredited to a State differ in class. The Vienna Convention on diplomatic relations, 1961 under Article 14 divides diplomatic agents into three classes. They are:

* Ambassadors accredited to head of State.
* Envoys, ministers accredited to the head of State.
* Charges d’ Affairs accredited to Ministers of Foreign Affairs.

Counsels

* कांसुलर संबंधों पर 1963 वियना कन्वेंशन कांसुलर प्रतिनिधित्व को नियंत्रित करने वाला कानून है

The 1963 Vienna Convention on Consular Relations is the law governing consular representation.

* एक कांसुलर ऑफिसर की तरह एक कॉन्सुलर ऑफिसर (किसी भी व्यक्ति, कॉन्सुलर पद के प्रमुख सहित, कॉन्सुलर कार्यों को करने की क्षमता के साथ सौंपा गया) अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि, एक राजनयिक एजेंट के विपरीत, वह दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक संबंधों से चिंतित नहीं है, लेकिन विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के साथ, जैसे कि वीजा और पासपोर्ट जारी करना, अपने राज्य के वाणिज्यिक हितों की देखभाल करना और अपने राज्य के नागरिकों की सहायता करना परेशानी में।

A consular officer (any person, including the head of the consular post, entrusted with the capacity to exercise consular functions) like a diplomatic agent, represents his State in the receiving State.  However, unlike a diplomatic agent, he is not concerned with political relations between the two States, but with a variety of administrative functions, such as issuing visas and passports, looking after the commercial interests of his State, and assisting the nationals of his State in distress.

Vienna Convention on Law of Treaties

* 1969 की संधियों के कानून पर विएना सम्मेलन (वीसीएलटी) मुख्य साधन है जो संधियों को नियंत्रित करता है। यह एक संधि को परिभाषित करता है और यह दर्शाता है कि संधियों को कैसे बनाया जाता है, संशोधित किया जाता है, व्याख्या की जाती है, वे कैसे संचालित होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। यह पार्टियों के लिए विशिष्ट मूल अधिकारों या दायित्वों को बनाने का लक्ष्य नहीं रखता है - यह विशिष्ट संधि के लिए छोड़ दिया जाता है (यानी राजनयिक संबंधों पर विएना कन्वेंशन उनके राजनयिक संबंधों में राज्यों के लिए अधिकार और दायित्व बनाता है)।

The Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969 (VCLT) is the main instrument that regulates treaties. It defines a treaty and relates to how treaties are made, amended, interpreted, how they operate and are terminated. It does not aim to create specific substantive rights or obligations for parties – this is left to the specific treaty (i.e. the Vienna Convention on Diplomatic Relations creates rights and obligations for States in their diplomatic relations).

* वीसीएलटी अपने विषय या उद्देश्यों के बावजूद संधियों को नियंत्रित करता है - जैसे: शत्रुता के आचरण को नियंत्रित करने के लिए संधियाँ (1949 को जिनेवा सम्मेलन); एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन (1945 का यूएन चार्टर) स्थापित करने वाली संधियाँ; और समुद्र के कानून पर राज्यों और अन्य दलों के बीच मामलों को विनियमित करने वाली संधियाँ (संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1982 के कानून पर)।

VCLT एक "संधि पर संधि" है

VCLT governs treaties irrespective of its subject matter or objectives – e.g.: treaties to regulate conduct of hostilities (Geneva Conventions on 1949); treaties setting up an international organisation (UN Charter of 1945); and treaties regulating matters between States and other parties on the law of the sea (UN Convention on the Law of the Sea of 1982).

VCLT is a “treaty on treaties”.

DEFINITION OF ‘TREATY’

* Schwarzenberger: "एक संधि को एक सहमतिपूर्ण सगाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषयों ने एक दूसरे की ओर किया है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कानूनी दायित्वों को बनाने के इरादे से"।
* Oppenheim: अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ समझौतों का, एक संविदात्मक चरित्र का, राज्यों या राज्यों के संगठनों के बीच, पार्टियों के बीच कानूनी अधिकारों और दायित्वों का निर्माण करती हैं ”

(“a treaty may be defined as a consensual engagement which subjects of international law have undertaken towards one another, with the intent to create legal obligations under international law”. • Oppenheim: International treaties are agreements, of a contractual character, between states, or organisations of states, creating legal rights and obligations between the parties”

* Article 2(1) (a) of the VCLT defines a treaty as: संधि ”का अर्थ है कि लिखित रूप में राज्यों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता और अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा शासित, चाहे एक ही उपकरण में या दो या अधिक संबंधित उपकरणों में सन्निहित हो और जो भी इसका विशेष पदनाम हो

(“treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;)

Pacific and compulsive means of settlement of interational disputes (प्रशांत और बाध्यकारी विवादों के निपटारे का अनिवार्य साधन)

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 (3) में कहा गया है कि सभी सदस्य राज्यों को अपने अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से इस तरह से निपटाना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, और न्याय खतरे में न पड़े।

(Article 2(3) of the UN Charter States that all Member States have to settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice are not endangered.)

* Amicable Means (Pacific Means) मैत्रीपूर्ण साधन

संयुक्त राष्ट्र चार्टर उन विवादों के लिए साधन प्रदान नहीं करता है जिन्हें पार्टियों द्वारा हल किया जा सकता है और पक्ष अपने विवाद निपटान तंत्र को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के ढांचे में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 33 में विवादों को हल करने के लिए कई विकल्प दिए गए हैं, जैसे, बातचीत, पूछताछ, मध्यस्थता, सुलह, मध्यस्थता और न्यायिक समझौता

The UN Charter does not prescribe in which way or by what means disputes need to be resolved, the parties are free to choose their dispute settlement mechanism. In the framework of international peace and security Article 33 of the UN Charter provides a number of alternatives to choose from in resolving disputes, e.g., negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration and judicial settlement

शांतिपूर्ण साधनों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

1. निपटान के अतिरिक्त न्यायिक मोड (राजनयिक या राजनीतिक साधन)

2. न्यायिक समझौता

The peaceful means may be further divided broadly into two categories:

1. Extra-Judicial Modes of Settlement (‘Diplomatic’ or ‘Political’ means)

2. Judicial settlement

* **Extra-Judicial Modes of Settlement:**

1. Negotiation (बातचीत):

* जब विवादित राज्य अपने विवादों को स्वयं चर्चा या समायोजन करके सुलझा लेते हैं उनके अंतर, प्रक्रिया को बातचीत कहा जाता है। वार्ता को राज्यों के प्रमुखों या उनके मान्यताप्राप्त प्रतिनिधियों या राजनयिक एजेंटों द्वारा किया जा सकता है। इसमें विवादित राज्यों के बीच पत्राचार भी शामिल है। विवादों को निपटाने का सबसे सरल रूप बातचीत है। यह विवादित पक्षों को आपसी सहमति से आवश्यक बदलाव लाने में मदद करता है

When the disputant states settle their disputes themselves by discussion or by adjusting their differences, the procedure is called negotiation. Negotiation may be carried on either by the Heads of the States or by their accredited representatives or by diplomatic agents. It also includes correspondence between the disputant states. Negotiation is the simplest form of settling the disputes. It helps the disputant parties to bring about the needed change by mutual consent

1. Good Offices:

* जब पक्षकार अपने विवाद को बातचीत से निपटाने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं, या जब वे बातचीत द्वारा अपने विवाद को निपटाने में विफल होते हैं, तो वे अपने मतभेदों को सुलझाने में तीसरे पक्ष की सहायता ले सकते हैं। तीसरे पक्ष को स्वयं या सुरक्षा परिषद द्वारा पार्टियों द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। तीसरी पार्टी एक राज्य या एक व्यक्ति हो सकती है - आमतौर पर एक तीसरे राज्य का एक प्रतिष्ठित नागरिक (चाहे वह निजी क्षमता में हो या उस राज्य में एक बार उच्च राजनैतिक रूप से)।

When the parties are not inclined to settle their dispute by negotiation, or when they fail to settle their dispute by negotiation, they may take the assistance of a third party in resolving their differences. The third party may be appointed by the parties themselves or by the Security Council. The third party may be a state or an individual – usually an eminent citizen of a third state (whether in a private capacity or by virtue of high political once in that State).

1. Mediation (मध्यस्थता)

* पहले के मामले की तरह, इस पद्धति में भी विवाद को तीसरे पक्ष को संदर्भित किया जाता है। यह मामला, विवादित राज्यों के साथ चर्चा में भाग लेता है, और विवाद के समाधान के लिए अपने सुझाव भी देता है, 'Good Offices' के विपरीत। मध्यस्थ, अर्थात तृतीय पक्ष, तटस्थ और निष्पक्ष होना आवश्यक है। वह जरूरी उनके साथ मिलना चाहिए और चर्चा में प्रवेश करना चाहिए। उसे कानूनी सिद्धांतों के पालन की सलाह से समझौता करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि यह पाठ्यक्रम अपनाया जाता है, तो मध्यस्थ विवाद को हल करने में सफल होने की संभावना है। मध्यस्थ देशों की संधि / समझौता पर हस्ताक्षर भी कर सकते हैं
* Similar to the earlier case, in this method also the dispute is referred to the third party. In this case, the third party participates in the discussion along with the disputant States, and also gives its own suggestions in resolving the dispute, in contradistinction to the ‘good offices’. The mediator, i.e. the third party, is required to be neutral and impartial. He must necessarily meet with them and enter into discussions. He should encourage compromise than advice adherence to the legal principles. If this course is adopted, the mediator is likely to succeed in resolving the dispute. The mediator may even sign the treaty/settlement reached by the countries

1. Conciliation सुलह:

* जब किसी विवाद को किसी आयोग या समिति के पास भेजा जाता है, तो आधार की जांच के लिए विवाद और तथ्यों का पता लगाने के बाद निपटान के प्रस्तावों से संबंधित रिपोर्ट बनाने के लिए, प्रक्रिया को सुलह के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार सुलह एक विवाद को निपटाने की प्रक्रिया है जहां विवादित पक्षों को एक समझौते पर लाने और एक निपटान के लिए उनके प्रस्तावों वाली रिपोर्ट बनाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आयोग के प्रस्ताव राज्यों पर बाध्यकारी नहीं हैं क्योंकि यह निर्णय न्यायालय या अधिकरण नहीं है। यह पहलू इसे मध्यस्थता से भी अलग करता है, क्योंकि मध्यस्थता में पुरस्कार पार्टियों पर बाध्यकारी होता है। सुलह आयोग स्थायी या तदर्थ हो सकता है।अनुच्छेद 10 और 14 के तहत महासभा और अनुच्छेद 24 के तहत सुरक्षा परिषद विवाद को हल करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं।

When a dispute is referred to a commission or a committee to investigate the basis of the dispute and to make a report containing proposals for settlement after finding out the facts, the process is known as conciliation. Thus conciliation is the process of settling a dispute where the endeavors are made to bring the disputant parties to an agreement and to make a report containing his proposals for a settlement. It is important to note that the proposals of the commission are not binding on the States because of it not being a judgment Court or a Tribunal. This aspect differs it from arbitration too, as in the arbitration the award is binding on the parties. Conciliation commission may be either permanent or ad hoc.

The General Assembly under Articles 10 and 14 and the Security Council under Article 24 may appoint a Commission to conciliate a dispute.

**Extra-Judicial Modes of Settlement:**

1. Arbitration पंचाट:

मध्यस्थता को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग द्वारा एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया हैI‘कानून के आधार पर एक बाध्यकारी पुरस्कार द्वारा राज्यों के बीच विवादों का निपटान और स्वेच्छा से स्वीकार किए गए उपक्रम के परिणामस्वरूप’।

Arbitration has been defined by the International Law Commission as ‘a procedure for the settlement of disputes between States by a binding award on the basis of law and as a result of an undertaking voluntarily accepted.’

1. International Court of Justice (ICJ):

न्यायालय कई आधारों पर मध्यस्थता से अलग है। सबसे पहले, कि यह एक स्थायी अदालत है और एक क़ानून द्वारा शासित है। दूसरे, न्यायाधीशों को इसके विपरीत, दलों द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है मध्यस्थों। तीसरा, कोर्ट एक स्थायी अदालत है जो कई प्रकार के कार्य करती है

The court differs from arbitration on many grounds. Firstly, that it is a permanent court and is governed by a statute. Secondly, the judges are not appointed by the parties, unlike

arbitrators. Thirdly, Court being a permanent court performs a number of functions which arbitrations do not perform, like receiving documents for filing and recording.

**Compulsive or Coercive Means (बाध्यकारी या जबरदस्ती)**

* बाध्यकारी या जोरदार साधन (प्रशिक्षण या जबरदस्ती) विवादों के निपटारे के लिए समझौता करने के लिए बाध्यकारी या जबरदस्त साधन गैर-जिम्मेदार हैं

Compulsive or coercive means for the settlement for the settlement of disputes are nonpeaceful methods.

* ऐसे उपायों में विवाद को निपटाने के लिए एक राज्य पर दबाव या बल शामिल होता है। हालांकि, बाध्यकारी उपायों के उपयोग का अर्थ सभी मामलों में सशस्त्र बलों का उपयोग नहीं है। आम तौर पर, वे उपाय शामिल होते हैं जो युद्ध के लिए पूर्ववर्ती हैं, या युद्ध की कमी है।

Such measures involve a pressure or force on a State to settle the dispute. However, the use of compulsive measures does not mean the use of armed forces in all the cases. Normally, they include the measures which are just predecessor to war, or short of war.

* Retorsion:  
  'प्रतिशोध' प्रतिशोध के लिए तकनीकी शब्द है। यह कुछ हद तक tit for tat सिद्धांत पर आधारित है।जब एक राज्य द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य राज्य द्वारा पूर्व में किए गए कार्य के समान होता है तो यह retorsion कहा जाता है। Retorsion का उद्देश्य प्रतिशोध लेना है

‘Retorsion’ is the technical term for retaliation. It is based, to some extent, on the principle of tit for tat. When an act is done by a State similar to that done earlier by another state, it is called Retorsion. The purpose of Retorsion is to take retaliation.

* Reprisals (प्रतिहिंसा):

शब्द 'रीप्रिसल' में राज्य के लिए किसी भी आक्रामक उपाय का रोजगार शामिल है निवारण का उद्देश्य। इस प्रकार, रीप्रिसल्स का मुख्य उद्देश्य मजबूर करना है गलत राज्य को गलत तरीके से बंद करने, या इसे आगे बढ़ाने के लिए, या दोनों। यदि कोई विवाद है एक राज्य के अन्यायपूर्ण या गैरकानूनी कार्य के कारण उत्पन्न होता है, अन्य राज्य किसी भी तरह का दबाव ले सकते हैं विवाद को निपटाने के लिए उस राज्य के खिलाफ उपाय करें। पूर्व में, Reprisals केवल तक ही सीमित थे संपत्ति या व्यक्तियों की जब्ती, लेकिन बाद में, इसमें अन्य तरीके भी शामिल थे जैसे कि बमबारी, एक राज्य के क्षेत्रों पर कब्जा, जहाजों की जब्ती, संपत्ति की ठंड इसके नागरिकों और इससे संबंधित किसी भी प्रकार की संपत्ति को लेना। इस प्रकार, यह लागू नहीं किया जा सकता है उस राज्य के नागरिकों के खिलाफ भी।

The term ‘reprisals’ includes the employment of any coercive measures by a State for the purpose of securing redress. Thus, the main purpose of the reprisals is to compel the delinquent State to discontinue the wrongdoing, or to pursue it, or both. If a dispute has arisen due to an unjustified or illegal act of a State, the other state may take any coercive measure against that State to settle the dispute. Formerly, Reprisals were restricted only to the seizure of the property or persons, but later, it included other methods as well such as bombardments, the occupation of territories of a State, seizure of ships, freezing of assets of its citizens and taking any kind of property belonging to it. Thus, it may be applied not only to the state but against the citizens of that State as well.

* Embargo:

शब्द 'Embargo' स्पेनिश मूल का है। आमतौर पर, इसका मतलब है निरोध, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में कानून, इसका बंदरगाह में जहाजों के निरोध का तकनीकी अर्थ है। हाइड डेन्स जहाजों या अन्य संपत्ति के राष्ट्रीय डोमेन के भीतर बंदी के रूप में स्वीकार करते हैं अन्यथा विदेशी क्षेत्र के लिए उनके रास्ते की संभावना है। एम्बार्गो को अपने स्वयं के जहाजों या अन्य राज्यों के जहाजों के संबंध में एक राज्य द्वारा लागू किया जा सकता है। जब कोई राज्य अपने स्वयं के जहाजों में एम्बार्गो के संचालन को लागू करता है, तो इसे 'नागरिक' या 'प्रशांत' एम्बार्गो के रूप में जाना जाता है। इस तरह के ऑपरेशन को राज्य के अधिकारियों द्वारा किसी अन्य राज्य के साथ अपने व्यापार और आर्थिक संबंधों को सीमित या बाधित करने या समाप्त करने के लिए जारी किए गए आदेश के अनुसार शुरू किया जाता है। इसका उद्देश्य दूसरे राज्य पर वित्तीय या आर्थिक दबाव डालना है

The term ‘Embargo’ is of Spanish origin. Ordinarily, it means detention, but in International Law, it has the technical meaning of detention of ships in port. Hyde defines embargo as the detention within the national domain of ships or other property otherwise likely to find their way to foreign territory. The embargo may be applied by a State in respect of its own vessels or to the vessels of other States. When a state apply the operation of the embargo to its own vessels, it is known as a ‘civil’ or ‘pacific’ embargo. Such an operation is initiated in accordance with an order issued by State authorities in order to limit or interrupt or terminate its trade and economic relations with another state. The purpose is to exert financial or economic pressure on the other state.

Principle of Jus cogens

* The jus cogens rules have been sanctioned by the Vienna Conventions on the Law of Treaties of 1969 and 1986. According to both Conventions, a treaty is void if it breaches jus cogens rules.
* JUS COGENS or ius cogens, meaning “compelling law” in Latin, are rules (अंतर्राष्ट्रीय कानून में नियम जो लंबवत या आधिकारिक हैं, और जिनसे राज्य विचलित नहीं हो सकते हैं। इन मानदंडों को अलग-अलग संधि द्वारा ऑफसेट नहीं किया जा सकता है, ऐसा करने के लिए इच्छुक पार्टियों के बीच, क्योंकि वे मौलिक मूल्यों को रखते हैं। आज, अधिकांश राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जूस कोगेंस के सिद्धांत को स्वीकार किया है, जो रोमन काल में आता है) in international law that are peremptory or authoritative, and from which states cannot deviate. These norms cannot be offset by a separate treaty between parties intending to do so, since they hold fundamental values. Today, most states and international organisations accept the principle of jus cogens, which dates back to Roman times.
* 1969 और 1986 की संधियों के कानून पर ज्यूस कॉगेंस नियमों को वियना सम्मेलनों द्वारा अनुमोदित किया गया है। दोनों सम्मेलनों के अनुसार, यह संधि शून्य है क्योंकि यह जोग कॉजेंस नियमों को तोड़ता है।

The jus cogens rules have been sanctioned by the Vienna Conventions on the Law of Treaties of 1969 and 1986. According to both Conventions, a treaty is void if it breaches jus cogens rules.

* 1969 कन्वेंशन का अनुच्छेद 53 ("सामान्य अंतरराष्ट्रीय कानून (" जूस कोगेंस ") के एक आदर्श मानदंड के साथ संघर्ष करने वाली संधियाँ)) कहती हैं:" एक संधि शून्य है यदि, इसके समापन के समय, यह सामान्य के एक प्रतिमान मानक के साथ संघर्ष करता है " अंतरराष्ट्रीय कानून। वर्तमान कन्वेंशन के प्रयोजनों के लिए, सामान्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक आदर्श मानदंड एक मानदंड है जिसे राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा एक मानदंड के रूप में समग्र रूप से स्वीकार और मान्यता प्राप्त है, जहां से किसी भी अपमान की अनुमति नहीं है और जिसे केवल बाद के मानक द्वारा संशोधित किया जा सकता है समान चरित्र वाले सामान्य अंतर्राष्ट्रीय कानून। "

Article 53 of the 1969 Convention (“Treaties conflicting with a peremptory norm of general international law (“jus cogens”)”) says: “A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law. For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.”

Pacta Sunda Servanda

* यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है कि समझौतों को रखा जाना चाहिए। यह सिविल कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून दोनों में मौजूद है। अंतरराष्ट्रीय कानून में, इसका मतलब है कि हर संधि पार्टियों पर बाध्यकारी है और उन्हें अच्छे विश्वास में निष्पादित किया जाना चाहिए। अच्छा विश्वास बिना द्वेष के दायित्वों को निभाने का ईमानदार इरादा है। इस संधि के तहत पक्षकारों को अपनी क्षमताओं के लिए अपने वादों और दायित्वों को पूरा करना चाहिए।

It is a Latin term that means agreements must be kept. It is present in both Civil law and international law. In international law, it means that every treaty is binding upon the parties and they must be executed in good faith. Good faith is a sincere intention to carry out obligations without malice. The parties under this treaty must fulfil their promises and obligations to the best of their abilities.

Scope Of Pacta Sunt Servanda

* VCLT के अनुच्छेद 18 के अनुसार, राज्यों को किसी भी ऐसे कार्य को करने से परहेज करने के लिए कहा जाता है जो संधि के परिणाम को बाधित करेगा। यह शर्तो के तहत है कि इसने उस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे बाद में पुष्टि की गई है। यह तब तक है जब तक कि इसने अपने इरादे स्पष्ट नहीं कर दिए हैं कि यह संधि के पक्ष में नहीं होना चाहता। यह भी इस तथ्य के अधीन है कि संधि में इसके प्रवेश में अनावश्यक देरी नहीं हुई है।

इस सिद्धांत के तहत, कुछ कानूनों को भी मान्यता प्राप्त घोषित किया जाता है और वे इस प्रकार मान्य होते हैं। यह 'लेक्स स्पेशलिस' के सिद्धांत की पुष्टि करता है और यह पता लगाता है कि कानूनों का पालन करना चाहिए।

According to Article 18 of the VLCT, states are asked to refrain from doing any acts which would hamper the outcome of the treaty. This is under the prerequisites that it has signed the treaty that has been subsequently ratified. This is until it has made its intentions clear that it does not want to be a party to the treaty. This is also subject to the fact that its entry into the treaty has not been unduly delayed.

Under this principle, certain laws are also declared to be recognised and are thus valid. It ratifies the principle of ‘lex specialis’ and ascertains that laws must be obeyed.

Termination of Treatises

* एक संधि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच एक समझौता या अनुबंध है, जिसके तहत वे उनमें से प्रत्येक पर लगाए गए दायित्वों को पूरा करने का कार्य करते हैं। संधियां बनाने वाला कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। संधि की समाप्ति के लिए विभिन्न आधार हैं जैसे कि निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति जिसके लिए एक संधि समाप्त की गई थी, उद्देश्य या वस्तु की पूर्ति, आपसी सहमति से समाप्ति आदि।

 A treaty is an agreement or contract entered into between two or more states whereby they undertake to carry out obligations imposed on each of them.  The law making treaties are an important Source of International Law.  There are various grounds for the termination of the treaty such as expiry of specified period for which a treaty was concluded, fulfillment of purpose or object, termination by mutual consent etc.

War

* Professor Oppenheim ने युद्ध को परिभाषित किया

( defined war as): दो या अधिक राज्यों के बीच एक विवाद, सशस्त्र बलों के माध्यम से, एक दूसरे पर हावी होने और शांति की ऐसी शर्तों को लागू करने के लिए जैसे कि विजेता प्रसन्न होता है

(... a contention between two or more States , through their armed forces, for the purposes of overpowering each other and imposing such conditions of peace as the victor pleases.)

* In 1940 Llewellen Pfankuchen  ने युद्ध के निवारण के आठ उपायों को सूचीबद्ध किया (listed eight measures of redress short of war):

Severance of diplomatic relations

* Non intercourse गैर समागम
* Embargo एम्बरगो
* Reprisals विद्रोह
* Display of force बल का प्रदर्शन
* Pacific blockade प्रशांत नाकाबंदी
* Armed intervention without war युद्ध के बिना सशस्त्र हस्तक्षेप
* International organizational sanctions अंतर्राष्ट्रीय संगठनात्मक प्रतिबंध

Belligerent Occupation (युद्धरत अधिवासी)

* युद्धरत अधिवासी के रूप में जाना जाने वाला शासन एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक या अधिक राज्यों की सेना बाद के राज्य की इच्छा के बिना किसी अन्य राज्य के क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण रखती है। क्योंकि इस तरह का नियंत्रण अक्सर सैन्य बल के अभ्यास का नतीजा रहा है, इस शासन को 'युद्धरत' कब्जे का शीर्षक दिया गया है, जबकि संप्रभु की सहमति प्राप्त करने वाले कब्जे को 'प्रशांत' क़ब्ज़ा कहा जाता है।

The regime known as belligerent occupation refers to a situation where the forces of one or more States exercise effective control over a territory of another State without the latter State’s volition. Because such control has often been the outcome of the exercise of military force, this regime has been titled ‘belligerent’ occupation, whereas occupation that received the consent of the sovereign is termed ‘pacific’ occupation.

War Crime (युद्ध अपराध)

* अपने संकीर्ण अर्थ में "युद्ध अपराध" शब्द युद्ध के कानूनों या रीति-रिवाजों के उल्लंघन के लिए एक तकनीकी अभिव्यक्ति है। इसमें शामिल हैं:

1. जिनेवा सम्मेलनों या जिनेवा सम्मेलनों के अतिरिक्त प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन;
2. हेग सम्मेलनों का उल्लंघन; तथा
3. युद्ध के रीति-रिवाजों का उल्लंघन

The term “war crime” in its narrower meaning is a technical expression for a violation of the laws or customs of war. This includes:

a. grave breaches of the Geneva Conventions or Additional Protocols to the Geneva Conventions;

b. violations of the Hague Conventions; and

c. violations of the customs of war

* मोटे तौर पर, "युद्ध अपराधों" में सशस्त्र संघर्ष के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून के सभी उल्लंघन शामिल हैं, जिनके लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है, जिसमें शांति के खिलाफ अपराध, मानवता और नरसंहार के खिलाफ अपराध शामिल हैं।

Broadly speaking, “war crimes” include all violations of International Law in relation to an armed conflict for which individuals may be prosecuted and punished, including crimes against peace, crimes against humanity and genocide.

Termination of War (युद्ध की समाप्ति)

* युद्ध समाप्ति लड़ाई के औपचारिक अंत पर जोर देती है, जरूरी नहीं कि संघर्ष का अंत हो। दूसरे शब्दों में, युद्ध समाप्ति नहीं है, हालांकि इससे प्रतिद्वंद्वियों के बीच संघर्ष में अंतर्निहित मुद्दों का समाधान हो सकता है।

War termination entails the formal end of fighting, not necessarily the end of conflict. In other words, war termination is not, though it may lead to, resolution of the underlying issues in conflict between rivals.

Doctrine of Postliminium

* यह राष्ट्रों के कानून द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार है, और युद्ध की आपदाओं को कम करने के लिए अनिवार्य रूप से योगदान देता है। जब शत्रु द्वारा ली गई संपत्ति को उसके मालिक या साथी के सहयोगियों द्वारा या तो उससे वापस ले लिया जाता है या बचाया जाता है, तो वह पुनरावृत्तिकर्ता या बचाव दल की संपत्ति नहीं बन जाता है, लेकिन यह पद के अधिकार के तहत मूल मालिक को बहाल किया जाएगा कुछ शर्तों पर।

It is a right recognized by the law of nations, and contributes essentially to mitigate the, calamities of war. When, therefore, property taken by the enemy is either recaptured or rescued from him, by the fellow subjects or allies of the original owner, it does not become the property of the recaptor or rescuer, as if it had been a new prize, but it is restored to the original owner by right of postliminy, upon certain terms.

Prize Courts (प्राइज़ कोर्ट)

What is Prize प्राइज़ ?

* उच्च समुद्रों पर कब्जा किए हुए शत्रु की संपत्ति को Prize कहा जाता है। यह लूट से अलग है जो भूमि पर ली गई दुश्मन की संपत्ति पर लागू होती है।

Property of Enemy captured on the high seas is termed prize. It differs from booty which is applied to property of the enemy taken on land.

Prize Court :

* प्राइज़ कोर्ट एक अदालत है जो प्राइज़ से संबंधित मुद्दों को हल करती है। उदाहरण के लिए, एक जुझारू शक्ति के नौसेना या वायु सेना द्वारा समुद्र या बंदरगाह पर युद्ध के दौरान कब्जा किए गए विमान, जहाज या सामान।

Prize Court is a court that, in accordance with International Law, deals with questions relating to Prize, for example, aircraft,  ships, or goods captured during wartime at sea or port by naval or air forces of a belligerent power.

According to Lawrence if enemy property liable to hostile seizure is captured at sea, the rights of the original owner are destroyed.

Definition of Prize Court -

* Obsorn: प्राइज़ कोर्ट विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार युद्ध के समय में समुद्री कब्जे के सवालों को तय करने के उद्देश्य से गठित किए गए थे।

According to Obsorn Prize Courts specially constituted for the purpose of deciding questions of maritime capture in time of war according to International Law.

Jurisdiction of Prize Court -

* एक प्राइज़ कोर्ट का क्षेत्राधिकार विस्तारित होता है:

1. एक युद्ध के दौरान अपने देश के क्रूजर द्वारा ऊंचे समुद्रों पर किए गए सभी कब्जा करने के लिए
2. इसके नौसैनिक बल द्वारा जमीन पर बनाए गए कब्जा करने के लिए
3. नुकसान की भरपाई और जुड़े प्रश्नों के लिए।

* इसमें रिकैप्टर्स भी शामिल हैं।
* प्राइज़ कोर्ट ने उनके क्षेत्र की स्थापना के युद्धरत राज्य से उनके क्षेत्राधिकार को प्राप्त किया है, जो इसके नगरपालिका कानून द्वारा प्रदान किया गया है।

Jurisdiction of a Prize court extends:

1. to all captures made on the high seas by its Country's cruisers during a war,
2. to captures made on land by its naval force and
3. to ransoms and connected questions of damages.

* It also includes Recaptures.
* The prize Court derives their jurisdiction from the Belligerent State establishing them, which is conferred by its Municipal Law.

Functions of Prize Court

* According to Pitt Cobbett, the functions of Prize Courts in short are -

1) समुद्री कब्जे के मामले में पूछताछ करने के लिए

2) निंदा करने के लिए जहां कब्जा की गई संपत्ति वैध पुरस्कार साबित होती है;

3) जहां यह दिखाई नहीं दे सकता है, वहां इस तरह के मुआवजे के साथ बहाली को पुरस्कृत करना; तथा

4) अव्यवस्था के खिलाफ सभी के हित की रक्षा के लिए  
1) To enquire into case of Maritime Capture  
2) To decree condemnation where the property captured proves to be lawful prize;  
3) To award restitution where it is not, with such compensation as may appear just; and   
4) Incidentally to protect the interest of all against rapine and disorder.

Law of Neutrality

* तटस्थता अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक शब्द है, यह एक ऐसे राज्य पर लागू होता है जो निष्पक्ष है और दो राज्यों के बीच युद्ध या संघर्ष में भाग नहीं लेता है। ऐसा राज्य किसी संघर्ष या असहमति का समर्थन या मदद नहीं करता है।

Neutrality is a term of International law, it applies to a state which is impartial and does not take part in war or conflict between two states. Such a state does not support or help either side to a conflict or disagreement.

* According to Black’s Law Dictionary:

“एक राष्ट्र का राज्य जो युद्ध में दो या दो से अधिक अन्य राष्ट्रों के बीच भाग नहीं लेता है

The State of a nation which takes no part between two or more other nations at war”

Right of Angary

* अत्यधिक आवश्यकता के मामलों में एक युद्धरत राज्य (Belligerent State) का अधिकार जो अपने स्वयं के या दुश्मन के इलाके पर या उच्च समुद्रों पर न्यूट्रल प्रॉपर्टी को नष्ट करने या उपयोग करने का अधिकार प्रदान करता है।

The right of a belligerent state in cases of EXTREME NECESSITY; To destroy or use NEUTRAL PROPERTY on its own or on enemy territory or on the high seas.

Contraband

* यह उन सामानों को संदर्भित करता है, जो तटस्थ संपत्ति होते हैं, एक युद्धरत (belligerent) व्यक्ति द्वारा जब्त किए जा सकते हैं क्योंकि वे युद्ध के लिए उपयोगी होते हैं और शत्रुतापूर्ण गंतव्य के लिए बाध्य होते हैं।

Refers to goods which, although neutral property, may be seized by a belligerent because they are useful for war and are bound for a hostile destination.

Blockade (नाकाबंदी)

* नाकाबंदी - एक शत्रुतापूर्ण ऑपरेशन (hostile operation) जिसके माध्यम से एक युद्धरत (Belligerent) जहाज और विमान सभी अन्य जहाजों को रोकते हैं, जिनमें तटस्थ राज्यों के लोग शामिल हैं, बंदरगाह के दूसरे हिस्से या अन्य युद्धरत के विस्फोटों को छोड़ने या प्रवेश करने से, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य और संचार से जगह को अन्य राज्यों के साथ बंद करना है । नोट: एक शांत नाकाबंदी केवल अवरुद्ध राज्यों के जहाजों पर लागू होती है, अन्य राज्यों की नहीं, शत्रुतापूर्ण नाकाबंदी के विपरीत।

Blockade - A hostile operation by means of which vessels and aircraft of one belligerent prevent all other vessels, including those of neutral states, from leaving or entering the port or coasts of the other belligerent, the purpose being to shut off the place from international commerce and communications with other states. Note: a pacific blockade applies only to vessels of blockaded states, not to those of other states, unlike hostile blockade.

Unneutral Service

* Unneutral Service. - The term "unneutral service" denotes "acts sometimes performed by neutrals which involve an entry for the time being into the service of a belligerent, and the doing for him what is of direct advantage to him in his war." (Lawrence).

Unneutral सेवा शब्द का अर्थ है कि "कभी-कभी न्यूट्रल state द्वारा किया जाने वाला कार्य जो Belligerent व्यक्ति की serive में कुछ समय के लिए शामिल करता है, और उस उद्देश्य के लिए कर रहा है जो उस को युद्ध में प्रत्यक्ष लाभ मिलना।"

Right to Visit and Search

* युद्धरत(Belligerent) युद्धपोतों और विमानों को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि वे शत्रुता से जुड़े किसी भी तरह से यह निर्धारित करने के लिए तटस्थ व्यापारिक जहाजों की खोज और खोज कर सकें।

शत्रुतापूर्ण गतिविधियों में संलग्न होने के लिए पकड़े गए vessels को पुरस्कार के रूप में माना जाता है।

हालाँकि, उन्हें संक्षेप में जब्त नहीं किया जा सकता है।

United Nations

* The United Nations (UN) is an international organization founded in 1945. It is currently made up of 193 Member States.
* Its mission and work guided by the purposes and principles contained in its founding Charter and implemented by its various organs and specialised agencies.
* Its activities include maintaining international peace and security, protecting human rights, delivering humanitarian aid, promoting sustainable development and upholding international law.

संयुक्त राष्ट्र (UN) 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह वर्तमान में 193 सदस्य राज्यों से बना है।

इसका मिशन और कार्य इसके संस्थापक चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है और इसके विभिन्न अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

इसकी गतिविधियों में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतरराष्ट्रीय कानून को कायम रखना शामिल है।

History and Information of UN

* 1899 में, अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन हेग में शांति से संकटों को निपटाने, युद्धों को रोकने और युद्ध के नियमों को संहिताबद्ध करने के लिए विस्तृत उपकरणों के लिए किया गया था। इसने अंतर्राष्ट्रीय विवादों के प्रशांत निपटान के लिए कन्वेंशन को अपनाया और 1902 में स्थायी न्यायालय की स्थापना की, जिसने 1902 में काम शुरू किया। यह न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अग्रदूत था।

In 1899, the International Peace Conference was held in The Hague to elaborate instruments for settling crises peacefully, preventing wars and codifying rules of warfare.It adopted the Convention for the Pacific Settlement of International Disputes and established the Permanent Court of Arbitration, which began work in 1902. This court was the forerunner of UN International Court of Justice.

* संयुक्त राष्ट्र का अग्रदूत लीग ऑफ नेशंस था, एक संगठन जिसने प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में कल्पना की थी, और 1919 में वर्साय की संधि के तहत "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और शांति और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए स्थापित किया गया था।" अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) भी 1919 में वर्साय की संधि (treaty of versailles) के तहत संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में बनाया गया था।

The forerunner of the United Nations was the League of Nations, an organization conceived in circumstances of the First World War, and established in 1919 under the Treaty of Versailles "to promote international cooperation and to achieve peace and security." The International Labour Organization (ILO) was also created in 1919 under the Treaty of Versailles as an affiliated agency of the League.

* "संयुक्त राष्ट्र" नाम, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी। रूजवेल्ट द्वारा गढ़ा गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा पत्र नामक एक दस्तावेज पर 1942 में 26 देशों ने हस्ताक्षर किए, अपनी सरकारों को एक्सिस पॉवर्स (रोम-बर्लिन-टोक्यो एक्सिस) के खिलाफ एक साथ लड़ाई जारी रखने का वचन दिया और एक अलग शांति बनाने के खिलाफ उन्हें बाध्य किया।

The name "United Nations", coined by United States President Franklin D. Roosevelt. A document called The Declaration by United Nations was signed in 1942 by 26 nations, pledging their Governments to continue fighting together against the Axis Powers (Rome-Berlin-Tokyo Axis) and bound them against making a separate peace.

* अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (1945) - सैन फ्रांसिस्को (यूएसए) में आयोजित सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए।

United Nations Conference on International Organization (1945)- Conference held in San Francisco (USA), was attended by representatives of 50 countries and signed the United Nations Charter.

* 1945 का संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक अंतर-सरकारी संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की संधि है।

The UN Charter of 1945 is the foundational treaty of the United Nations, as an inter-governmental organization.

Organs of UN

The main organs of the UN are

1. the General Assembly,
2. the Security Council,
3. the Economic and Social Council,
4. the Trusteeship Council,
5. the International Court of Justice,
6. and the UN Secretariat.

All the 6 were established in 1945 when the UN was founded.

1. General Assembly - सामान्य सभा

* महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार-विमर्श, नीति-निर्धारण और प्रतिनिधि अंग है। संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व महासभा में किया जाता है, जो इसे सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय बनाता है। हर साल, सितंबर में, संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता वार्षिक महासभा सत्र के लिए न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली हॉल में मिलती है, और सामान्य बहस होती है, जिसमें कई राज्य प्रमुख भाग लेते हैं और संबोधित करते हैं। महत्वपूर्ण सवालों पर निर्णय, जैसे कि शांति और सुरक्षा, नए सदस्यों के प्रवेश और बजटीय मामलों के लिए, महासभा के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। अन्य प्रश्नों पर निर्णय साधारण बहुमत से होते हैं। महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष विधानसभा द्वारा एक वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है।

6 मुख्य समितियाँ: अपनी छह मुख्य समितियों द्वारा महासभा के लिए मसौदा तैयार किए जा सकते हैं: (1) पहली समिति (निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा), (2) दूसरी समिति (आर्थिक और वित्तीय), (3) तीसरी समिति (सामाजिक) मानवीय, और सांस्कृतिक), (4) चौथी समिति (विशेष राजनीतिक और घोषणा), (5) पांचवीं समिति (प्रशासनिक और बजटीय), (6) छठी समिति (कानूनी)।

प्रत्येक सदस्य राज्य को प्रत्येक मुख्य समिति और किसी अन्य समिति पर एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, जिस पर सभी सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है।

सदस्य राज्य इन समितियों के सलाहकार, तकनीकी सलाहकार, विशेषज्ञ या समान स्थिति के व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकते हैं।

The General Assembly is the main deliberative, policymaking and representative organ of the UN. All 193 Member States of the UN are represented in the General Assembly, making it the only UN body with universal representation.

Each year, in September, the full UN membership meets in the General Assembly Hall in New York for the annual General Assembly session, and general debate, which many heads of state attend and address. Decisions on important questions, such as those on peace and security, admission of new members and budgetary matters, require a two-thirds majority of the General Assembly.

Decisions on other questions are by simple majority.

The President of the General Assembly is elected each year by assembly to serve a one-year term of office.

6 Main Committees: Draft resolutions can be prepared for the General Assembly by its six main committees: (1) First Committee (Disarmament and International Security), (2) Second Committee (Economic and Financial), (3) Third Committee (Social, Humanitarian, and Cultural), (4) Fourth Committee (Special Political and Decolonization), (5) Fifth Committee (Administrative and Budgetary), (6)Sixth Committee (Legal).

Each Member State may be represented by one person on each Main Committee and on any other committee that may be established upon which all Member States have the right to be represented. Member States may also assign advisers, technical advisers, experts or persons of similar status to these committees.

* Other Committees अन्य समितियाँ:

सामान्य समिति: महासभा और उसकी समितियों की प्रगति की समीक्षा करने और इस तरह की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए सिफारिश करने के लिए यह प्रत्येक सत्र में समय-समय पर मिलती है। यह महासभा के अध्यक्ष और विधानसभा के 21 उपाध्यक्षों और छह मुख्य समितियों के अध्यक्षों से बना है। सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं।

क्रेडेंशियल्स समिति: यह सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों की साख की जांच करने और महासभा को रिपोर्ट करने के लिए अनिवार्य है।

General Committee: It meets periodically throughout each session to review the progress of the General Assembly and its committees and to make recommendations for furthering such progress. It is composed of the President of the General Assembly and 21 Vice-Presidents of the Assembly and the Chairmen of the six Main Committees. The five permanent members of the Security Council serve as Vice-Presidents, as well.

Credentials Committee: It is mandated to examine the credentials of representatives of Member States and to report to the General Assembly.

2. Security Council सुरक्षा परिषद

* अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।सुरक्षा परिषद पंद्रह सदस्यीय राज्यों से बनी है, जिसमें पाँच स्थायी सदस्य शामिल हैं- चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका-और दस गैर-स्थायी सदस्य जो महासभा द्वारा दो साल के लिए चुने गए हैं।

"वीटो पावर (Veto Power)" सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव को वीटो (अस्वीकार) करने के लिए स्थायी सदस्य की शक्ति को संदर्भित करता है।

पांच सरकारों के पास बिना शर्त वीटो को संयुक्त राष्ट्र के सबसे अलोकतांत्रिक चरित्र के रूप में देखा गया है।

आलोचकों का यह भी दावा है कि वीटो पावर युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों पर अंतर्राष्ट्रीय निष्क्रियता का मुख्य कारण है। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1945 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने से इनकार कर दिया जब तक कि उसे वीटो नहीं दिया गया। राष्ट्र संघ से संयुक्त राज्य अमेरिका की अनुपस्थिति ने इसकी अप्रभावीता में योगदान दिया। वीटो शक्ति के समर्थक इसे अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के प्रवर्तक के रूप में मानते हैं, सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ एक जांच और अमेरिकी प्रभुत्व के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच।

Security Council

* It has primary responsibility, under the UN Charter, for the maintenance of international peace and security.

The Security Council is made up of fifteen member states, consisting of five permanent members—China, France, Russia, the United Kingdom, and the United States—and ten non-permanent members elected for two-year terms by the General Assembly on a regional basis.

"Veto power" refers to the power of the permanent member to veto (Reject) any resolution of Security Council.

The unconditional veto possessed by the five governments has been seen as the most undemocratic character of the UN.

Critics also claim that veto power is the main cause for international inaction on war crimes and crimes against humanity. However, the United States refused to join the United Nations in 1945 unless it was given a veto. The absence of the United States from the League of Nations contributed to its ineffectiveness. Supporters of the veto power regard it as a promoter of international stability, a check against military interventions, and a critical safeguard against U.S. domination.

3. International Court of Justice (अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय)

* ICJ की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई और अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, जो हेग (नीदरलैंड) के पीस पैलेस में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों के विपरीत, यह एकमात्र न्यूयॉर्क (यूएसए) में स्थित नहीं है। यह राज्यों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी सवालों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाहकार राय देता है। इसमें 193 राज्य पक्ष हैं और वर्तमान राष्ट्रपति रॉनी अब्राहम हैं।

ICJ was established in 1945 by the United Nations charter and started working in April 1946. It is the principal judicial organ of the United Nations, situated at the Peace Palace in The Hague (Netherlands). Unlike the six principal organs of the United Nations, it is the only one not located in New York (USA). It settles legal disputes between States and gives advisory opinions in accordance with international law, on legal questions referred to it by authorized United Nations organs and specialized agencies. It has 193 state parties and current President is Ronny Abraham.

* पृष्ठभूमि (Background of ICJ)

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 33 में राज्यों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत, पूछताछ, मध्यस्थता आदि विधियों की सूची है। इनमें से कुछ तरीकों में तीसरे पक्ष की सेवाएं शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का आधुनिक इतिहास (The modern history of international arbitration)

1. अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के पहले चरण को संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच 1794 की Jay संधि से मान्यता प्राप्त है।The first phase of international arbitration is recognized from Jay Treaty of 1794 between the United States of America and Great Britain.
2. यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 1872 में 'अलबामा दावा मध्यस्थता' ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के दूसरे चरण की शुरुआत को चिह्नित किया। The 'Alabama Claims arbitration' in 1872 between the United Kingdom and the United States marked the start of a second phase of international arbitration.
3. 1899 के हेग शांति सम्मेलन ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के आधुनिक इतिहास में तीसरे चरण की शुरुआत को चिह्नित किया।The Hague Peace Conference of 1899 marked the beginning of a third phase in the modern history of international arbitration.

* मध्यस्थता के संबंध में, 1899 के कन्वेंशन ने स्थायी मशीनरी के निर्माण के लिए प्रदान किया, जिसे परमानेंट कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन के रूप में जाना जाता है, जिसे 1900 में स्थापित किया गया और 1902 में इसका संचालन शुरू हुआ।

With respect to arbitration, the 1899 Convention provided for the creation of permanent machinery, known as the Permanent Court of Arbitration, established in 1900 and began operating in 1902.

* कन्वेंशन ने एक स्थायी ब्यूरो भी बनाया, जो हेग में स्थित है, जिसमें कोर्ट रजिस्ट्री या सचिवालय के अनुरूप कार्य होते हैं, और मध्यस्थता के संचालन को संचालित करने के लिए प्रक्रिया के नियमों का एक समूह निर्धारित किया है।

The Convention also created a permanent Bureau, located in The Hague, with functions corresponding to those of a court registry or secretariat, and laid down a set of rules of procedure to govern the conduct of arbitrations.

* 1911 और 1919 के बीच, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों और सरकारों द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए विभिन्न योजनाओं और प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया, जिसके कारण स्थायी न्यायालय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (PCIJ) का निर्माण हुआ।

Various plans and proposals submitted between 1911 and 1919, both by national and international bodies and by governments, for the establishment of an international judicial tribunal, which led to the creation of Permanent Court of International Justice (PCIJ).

* G.H. हैकवर्थ (संयुक्त राज्य) समिति को 1945 में भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए एक क़ानून का मसौदा तैयार करने के लिए सौंपा गया था।G.H. Hackworth (United States) committee was entrusted with preparing a draft Statute for the future international court of justice in 1945.
* सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन ने समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य क्षेत्राधिकार के खिलाफ और एक पूरी तरह से नए न्यायालय के निर्माण के पक्ष में निर्णय लिया, जो संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य अंग होगा जैसे कि महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सचिवालय थे।The San Francisco Conference while keeping committee recommendations in mind decided against compulsory jurisdiction and in favour of the creation of an entirely new court, which would be a principal organ of the United Nations like General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council and the Secretariat.
* PCIJ आखिरी बार अक्टूबर 1945 में मिला और अपने अभिलेखागार और प्रभावों को नए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में स्थानांतरित करने का संकल्प लिया, जो कि अपने पूर्ववर्ती की तरह पीस पैलेस में अपनी सीट के लिए था।The PCIJ met for the last time in October 1945 and resolved to transfer its archives and effects to the new International Court of Justice, which, like its predecessor, was to have its seat at the Peace Palace.
* अप्रैल 1946 में, PCIJ को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पहली बार बैठक की, जिसमें उसके अध्यक्ष न्यायाधीश जोस गुस्तावो गुरेरो (एल सल्वाडोर), PCIJ के अंतिम अध्यक्ष के रूप में चुने गए। In April 1946, the PCIJ was formally dissolved, and the International Court of Justice, meeting for the first time, elected as its President Judge José Gustavo Guerrero (El Salvador), the last President of the PCIJ.

Structure of ICJ

* न्यायालय 15 न्यायाधीशों से बना है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) और सुरक्षा परिषद (UN Securtiy council) द्वारा नौ साल के लिए पद के लिए चुने गए हैं। ये अंग (एक साथ लेकिन अलग-अलग मतदान करते हैं।

The Court is composed of 15 judges, who are elected for terms of office of nine years by the United Nations General Assembly and the Security Council. These organs vote simultaneously but separately.

* निर्वाचित होने के लिए, एक उम्मीदवार को दोनों निकायों में पूर्ण बहुमत प्राप्त करना चाहिए।

In order to be elected, a candidate must receive an absolute majority of the votes in both bodies.

* निरंतरता का एक उपाय सुनिश्चित करने के लिए, अदालत का एक तिहाई हर तीन साल में चुना जाता है और न्यायाधीश पुन: चुनाव के लिए पात्र होते हैं।

In order to ensure a measure of continuity, one third of the Court is elected every three years and Judges are eligible for re-election.

* ICJ को एक रजिस्ट्री, उसके प्रशासनिक अंग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसकी आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं

ICJ is assisted by a Registry, its administrative organ. Its official languages are English and French

* न्यायालय के 15 न्यायाधीशों को निम्नलिखित क्षेत्रों में वितरित किया जाता है:

1. अफ्रीका से तीन।
2. लैटिन अमेरिका और कैरेबियन से दो।
3. एशिया से तीन।
4. पांच पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से।
5. पूर्वी यूरोप से दो।

The 15 judges of the Court are distributed in following regions:

1. Three from Africa.
2. Two from Latin America and Caribbean.
3. Three from Asia.
4. Five from Western Europe and other states.
5. Two from Eastern Europe.

4. Economic and Social Council (ECOSOC) (आर्थिक और सामाजिक परिषद)

* यह समन्वय, नीति समीक्षा, नीतिगत संवाद और आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिशों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख निकाय है। इसकी तीन सदस्यीय शर्तों को ओवरलैप करने के लिए महासभा द्वारा चुने गए 54 सदस्य हैं। यह सतत विकास पर प्रतिबिंब, बहस और नवीन सोच के लिए संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है। हर साल, ECOSOC सतत विकास के लिए वैश्विक महत्व की वार्षिक थीम के आसपास अपना काम करता है। यह ECOSOC के साझेदारों और पूरे संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के बीच, ध्यान केंद्रित सुनिश्चित करता है। यह 14 संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों, दस कार्यात्मक आयोगों और पांच क्षेत्रीय आयोगों के काम का समन्वय करता है, नौ संयुक्त राष्ट्र निधियों और कार्यक्रमों की रिपोर्ट प्राप्त करता है और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और सदस्य राज्यों के लिए नीतिगत सिफारिशें जारी करता है।

It is the principal body for coordination, policy review, policy dialogue and recommendations on economic, social and environmental issues, as well as implementation of internationally agreed development goals. It has 54 Members, elected by the General Assembly for overlapping three-year terms. It is the United Nations’ central platform for reflection, debate, and innovative thinking on sustainable development. Each year, ECOSOC structures its work around an annual theme of global importance to sustainable development. This ensures focused attention, among ECOSOC’s array of partners, and throughout the UN development system. It coordinates the work of the 14 UN specialized agencies, ten functional commissions and five regional commissions, receives reports from nine UN funds and programmes and issues policy recommendations to the UN system and to Member States.

5. Trusteeship Council(न्यास परिषद)

* यह 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा अध्याय XIII के तहत स्थापित किया गया था। ट्रस्ट क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र की ट्रस्टीशिप काउंसिल द्वारा एक प्रशासनिक प्राधिकरण के तहत रखा गया एक गैर-स्वशासित क्षेत्र है। लीग ऑफ नेशंस का जनादेश कुछ क्षेत्रों के लिए एक कानूनी स्थिति था जिसे एक देश के नियंत्रण से दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्थानांतरित किया गया था, या कानूनी उपकरण जिसमें राष्ट्र संघ की ओर से क्षेत्र को प्रशासित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहमत हुए शब्द शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र के विश्वास क्षेत्र शेष राष्ट्रों के जनादेश के उत्तराधिकारी थे, और तब अस्तित्व में आया जब राष्ट्र संघ का अस्तित्व 1946 में समाप्त हो गया। इसे 11 ट्रस्ट क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण प्रदान करना था जो सात सदस्य राज्यों के प्रशासन के तहत रखा गया था, और यह सुनिश्चित करना कि स्व-शासन और स्वतंत्रता के लिए क्षेत्र तैयार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए थे। 1994 तक, सभी ट्रस्ट प्रदेशों ने स्व-सरकार या स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। ट्रस्टीशिप काउंसिल ने 1 नवंबर 1994 को ऑपरेशन स्थगित कर दिया।

It was established in 1945 by the UN Charter, under Chapter XIII. Trust territory is a non-self-governing territory placed under an administrative authority by the Trusteeship Council of the United Nations. A League of Nations mandate was a legal status for certain territories transferred from the control of one country to another following World War I, or the legal instruments that contained the internationally agreed-upon terms for administering the territory on behalf of the League of Nations. United Nations trust territories were the successors of the remaining League of Nations mandates, and came into being when the League of Nations ceased to exist in 1946. It had to provide international supervision for 11 Trust Territories that had been placed under the administration of seven Member States, and ensure that adequate steps were taken to prepare the Territories for self-government and independence. By 1994, all Trust Territories had attained self-government or independence. The Trusteeship Council suspended operation on 1 November 1994.

6. Secretariat (सचिवालय)

* सचिवालय में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और दसियों हजारों संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी सदस्य होते हैं, जो महासभा और संगठन के अन्य प्रमुख अंगों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के दैनिक कार्य के रूप में कार्य करते हैं। महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसे पाँच साल के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी सदस्य अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर भर्ती किए जाते हैं, और ड्यूटी स्टेशनों और दुनिया भर के शांति अभियानों में काम करते हैं।

The Secretariat comprises the Secretary-General and tens of thousands of international UN staff members who carry out the day-to-day work of the UN as mandated by the General Assembly and the Organization's other principal organs. The Secretary-General is chief administrative officer of the Organization, appointed by the General Assembly on the recommendation of the Security Council for a five-year, renewable term. UN staff members are recruited internationally and locally, and work in duty stations and on peacekeeping missions all around the world.

Human Rights(मानवाधिकार)

* मानव अधिकार मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं जो दुनिया के हर व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक हैं। मानवाधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना सभी मनुष्यों के लिए निहित अधिकार हैं। मानवाधिकारों में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, दासता और यातना से मुक्ति, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार, और कई शामिल हैं। बिना भेदभाव के हर कोई इन अधिकारों का हकदार है।

Human rights are rights inherent to all human beings, regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status. Human rights include the right to life and liberty, freedom from slavery and torture, freedom of opinion and expression, the right to work and education, and many more. Everyone is entitled to these rights, without discrimination.

International Human Rights Law(अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून)

* अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून सरकारों के अधिकारों को कुछ तरीकों से कार्य करने या कुछ कृत्यों से परहेज करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि मानव अधिकारों और व्यक्तियों या समूहों की मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जा सके।

संयुक्त राष्ट्र की महान उपलब्धियों में से एक मानव अधिकारों के एक व्यापक निकाय का निर्माण है - एक सार्वभौमिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित कोड जिसके लिए सभी राष्ट्र सदस्यता ले सकते हैं और सभी लोग आकांक्षा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत अधिकारों की एक विस्तृत श्रृंखला को परिभाषित किया है। इसने इन अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में राज्यों की सहायता करने के लिए तंत्र भी स्थापित किया है। इस निकाय कानून की नींव क्रमश: 1945 और 1948 में महासभा द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा है। तब से, संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर समूहों के लिए विशिष्ट मानकों को शामिल करने के लिए धीरे-धीरे मानवाधिकार कानून का विस्तार किया है, जो अब उन अधिकारों को रखते हैं जो उन्हें भेदभाव से बचाते हैं जो कई समाजों में लंबे समय से आम थे।

International human rights law lays down the obligations of Governments to act in certain ways or to refrain from certain acts, in order to promote and protect human rights and fundamental freedoms of individuals or groups. One of the great achievements of the United Nations is the creation of a comprehensive body of human rights law—a universal and internationally protected code to which all nations can subscribe and all people aspire. The United Nations has defined a broad range of internationally accepted rights, including civil, cultural, economic, political and social rights. It has also established mechanisms to promote and protect these rights and to assist states in carrying out their responsibilities.

The foundations of this body of law are the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights, adopted by the General Assembly in 1945 and 1948, respectively. Since then, the United Nations has gradually expanded human rights law to encompass specific standards for women, children, persons with disabilities, minorities and other vulnerable groups, who now possess rights that protect them from discrimination that had long been common in many societies.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) (मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा)

* यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स (UDHR) मानव अधिकारों के इतिहास में एक मील का पत्थर दस्तावेज़ है। दुनिया के सभी क्षेत्रों से अलग-अलग कानूनी और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले प्रतिनिधियों द्वारा तैयार किए गए, घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को महासभा संकल्प 217 ए (III) द्वारा सभी लोगों और सभी राष्ट्र के लिए उपलब्धियों के एक सामान्य मानक के रूप में घोषित किया गया था।यह पहली बार, मौलिक मानव अधिकारों को सार्वभौमिक रूप से संरक्षित करने के लिए निर्धारित करता है। UDHR को 500 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है - दुनिया में सबसे अधिक अनुवादित दस्तावेज़ - और कई नए स्वतंत्र राज्यों के गठन और कई नए लोकतंत्रों को प्रेरित किया है। यूडीएचआर, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय watch और उसके दो वैकल्पिक प्रोटोकॉल (शिकायतों की प्रक्रिया और मृत्युदंड पर) और अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों और इसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल पर एक साथ तथाकथित मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय विधेयक रूप देता है।

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is a milestone document in the history of human rights. Drafted by representatives with different legal and cultural backgrounds from all regions of the world, the Declaration was proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948 by General Assembly resolution 217 A (III) as a common standard of achievements for all peoples and all nations. It sets out, for the first time, fundamental human rights to be universally protected. Since its adoption in 1948, the UDHR has been translated into more than 500 languages - the most translated document in the world - and has inspired the constitutions of many newly independent States and many new democracies. The UDHR, together with the International Covenant on Civil and Political Rights and its two Optional Protocols (on the complaints procedure and on the death penalty) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and its Optional Protocol, form the so-called International Bill of Human Rights.

International Covenants on Civil and Political Rights, 1966

* ICCPR 1966 में अपनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है। यह लोगों को मानव अधिकारों की एक विस्तृत श्रृंखला का आनंद लेने में सक्षम बनाता है, जिनमें से संबंधित हैं:

1. यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या दंड से मुक्ति
2. निष्पक्ष परीक्षण अधिकार
3. विचार, धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
4. गोपनीयता, घर और पारिवारिक जीवन
5. समानता और गैर-भेदभाव

ICCPR is an international human rights treaty adopted in 1966. The UK agreed to follow ICCPR in 1976. It enables people to enjoy a wide range of human rights, including those relating to:

1. freedom from torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
2. fair trial rights
3. freedom of thought, religion and expression
4. privacy, home and family life
5. equality and non-discrimination

* भारत ICCPR अंतर्राष्ट्रीय संधि का पक्षधर है, जिसने जुलाई 1979 में इसे स्वीकार किया और इसकी पुष्टि की।

अनुच्छेद 4 (2) में ICCPR के सात प्रावधानों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें से किसी भी प्रकार के अपमान की अनुमति नहीं है। ये हैं, अनुच्छेद 6 (जीवन का अधिकार), अनुच्छेद 7 (यातना का निषेध), अनुच्छेद 8 पैरा 1 & 2 (दासता और सेवा का निषेध), अनुच्छेद 11 (संविदात्मक दायित्वों की पूर्ति के लिए कारावास का निषेध), अनुच्छेद 11 (पूर्वव्यापी आपराधिक कानूनों और दंडों के खिलाफ निषेध), अनुच्छेद 16 (कानून से पहले एक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त होने का अधिकार), अनुच्छेद 18 (विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता)।

ICCPR के अंतर्गत यह पार्टी-राज्य का दायित्व है कि वह अपने कानूनों को international treaty के प्रावधानों के अनुरूप लाए।

India is also a party to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) to which it acceded and ratified in July 1979. Article 4 (2) lists seven provisions of the ICCPR from which no derogation is permitted. These are, Article 6 (right to life), Article 7 (prohibition of torture), Article 8 para 1 & 2 (prohibition of slavery and servitude), Article 11 (prohibition of imprisonment for non-fulfillment of contractual obligations), Article 11 (prohibition against retroactive criminal laws and penalties), Article 16 (the right to be recognized as a person before the law), Article 18 (freedom of thought, conscience and religion).

Under the ICCPR it is the obligation of a party-State to bring its laws in conformity with the provisions of the Covenant.

International Conventions on Economic, Social and Cultural Rights 1966

* आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (ICESCR) एक बहुपक्षीय संधि है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 दिसंबर 1966 को महासभा के माध्यम से अपनाया था और 3 जनवरी 1976 से लागू हुआ। यह parties को श्रम सहित आर्थिक (economic), सामाजिक (social) और सांस्कृतिक (cultural) अधिकारों (ESCR) को गैर-स्वशासी (non-self governing)और ट्रस्ट क्षेत्रों (trust territory) और व्यक्तियों को काम देने के अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, और जीवन के पर्याप्त मानक का अधिकार के लिए प्रतिबद्ध करता है।। जुलाई 2020 तक, convention की 171 पार्टियाँ हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित चार देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन convention का अनुसमर्थन (ratify) नहीं किया है।

The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) is a multilateral treaty adopted by the United Nations General Assembly on 16 December 1966 through General Assembly. Resolution 2200A (XXI), and came in force from 3 January 1976.It commits its parties to work toward the granting of economic, social, and cultural rights (ESCR) to the Non-Self-Governing and Trust Territories and individuals, including labour rights and the right to health, the right to education, and the right to an adequate standard of living. As of July 2020, the Covenant has 171 parties. A further four countries, including the United States, have signed but not ratified the Covenant.

* ICESCR (और इसका वैकल्पिक प्रोटोकॉल) मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार (ICCPR) के साथ-साथ बाद के पहले और दूसरे वैकल्पिक प्रोटोकॉल सहित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक का हिस्सा है।

The ICESCR (and its Optional Protocol) is part of the International Bill of Human Rights, along with the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), including the latter's first and second Optional Protocols.

* The Covenant is monitored by the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा ICESCR की निगरानी की जाती है।
* प्रसंविदा (ICESCR) UDHR और ICCPR की संरचना का अनुसरण करता है, एक प्रस्तावना और इकतीस अनुच्छेद के साथ, पाँच भागों में विभाजित है।

The Covenant follows the structure of the UDHR and the ICCPR, with a preamble and thirty-one articles, divided into five parts:

1. भाग 1 (अनुच्छेद 1) सभी लोगों के आत्मनिर्णय (Self determination) के अधिकार को मान्यता देता है, जिसमें "स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीतिक स्थिति का निर्धारण" करने का अधिकार शामिल है, अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लक्ष्यों का पीछा करते हैं, और अपने स्वयं के संसाधनों का प्रबंधन और निपटान करते हैं। यह ऐसे लोगों के नकारात्मक अधिकार को मान्यता देता है जो इसके निर्वाह के साधनों से वंचित नहीं रहते हैं, और उन दलों पर एक बाध्यता लागू करते हैं जो अभी भी गैर-स्वशासन और विश्वास क्षेत्रों (उपनिवेशों) के लिए जिम्मेदार हैं ताकि वे अपने आत्मनिर्णय को प्रोत्साहित और सम्मान कर सकें।

Part 1 (Article 1) recognises the right of all peoples to self-determination, including the right to "freely determine their political status", pursue their economic, social and cultural goals, and manage and dispose of their own resources. It recognises a negative right of a people not to be deprived of its means of subsistence,and imposes an obligation on those parties still responsible for non-self governing and trust territories (colonies) to encourage and respect their self-determination.

1. भाग 2 (लेख 2-5) "प्रगतिशील प्राप्ति" के सिद्धांत को स्थापित करता है। इसके लिए किसी जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य राय के रूप में किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिए। अधिकारों को केवल अधिकारों की प्रकृति के अनुकूल तरीके से, और केवल "लोकतांत्रिक समाज में सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने" के उद्देश्य से सीमित किया जा सकता है।

Part 2 (Articles 2–5) establishes the principle of "progressive realisation". It also requires the rights be recognised "without discrimination of any kind as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status". The rights can only be limited by law, in a manner compatible with the nature of the rights, and only for the purpose of "promoting the general welfare in a democratic society".

1. भाग 3 (अनुच्छेद 6–15) स्वयं अधिकारों को सूचीबद्ध करता है। इनमें "न्याय और अनुकूल परिस्थितियों" के तहत काम करने के अधिकार शामिल हैं, ट्रेड यूनियनों के गठन और शामिल होने के अधिकार के साथ (अनुच्छेद 6, 7, और 8); सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा सहित (अनुच्छेद 9); पारिवारिक जीवन, जिसमें भुगतान माता-पिता की छुट्टी और बच्चों की सुरक्षा शामिल है (अनुच्छेद 10); रहने का पर्याप्त मानक, जिसमें पर्याप्त भोजन, कपड़े और आवास शामिल हैं, और "रहने की स्थिति में निरंतर सुधार" (अनुच्छेद 11); स्वास्थ्य, विशेष रूप से "शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक" (अनुच्छेद 12); मुक्त सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, आमतौर पर उपलब्ध माध्यमिक शिक्षा और समान रूप से सुलभ उच्च शिक्षा सहित शिक्षा। इसे "मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास और इसकी गरिमा की भावना" के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए, और सभी व्यक्तियों को समाज में प्रभावी रूप से भाग लेने में सक्षम बनाना चाहिए (अनुच्छेद 13 और 14)

Part 3 (Articles 6–15) lists the rights themselves. These include rights to under "just and favourable conditions", with the right to form and join trade unions (Articles 6, 7, and 8);social security, including social insurance (Article 9);family life, including paid parental leave and the protection of children (Article 10);an adequate standard of living, including adequate food, clothing and housing, and the "continuous improvement of living conditions" (Article 11); health, specifically "the highest attainable standard of physical and mental health" (Article 12); education, including free universal primary education, generally available secondary education and equally accessible higher education. This should be directed to "the full development of the human personality and the sense of its dignity", and enable all persons to participate effectively in society (Articles 13 and 14); participation in cultural life (Article 15).

1. भाग 4 (अनुच्छेद 16-25) covenant की रिपोर्टिंग और निगरानी और इसे लागू करने के लिए पार्टियों द्वारा उठाए गए कदमों को नियंत्रित करता है। यह निगरानी निकाय को भी अनुमति देता है - मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद - अब आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति - नीचे देखें - अधिकारों की प्राप्ति के लिए उचित उपायों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा को सामान्य सिफारिशें करने के लिए (अनुच्छेद 21)

Part 4 (Articles 16–25) governs reporting and monitoring of the Covenant and the steps taken by the parties to implement it. It also allows the monitoring body – originally the United Nations Economic and Social Council – now the Committee on Economic, Social and Cultural Rights – see below – to make general recommendations to the UN General Assembly on appropriate measures to realise the rights (Article 21)

1. भाग 5 (अनुच्छेद 26-31) में अनुसमर्थन, बल में प्रवेश और covenant का संशोधन शामिल है

Part 5 (Articles 26–31) governs ratification, entry into force, and amendment of the Covenant

* मुख्य प्रावधान (Core provisionS of ICESCR)

1. प्रगतिशील बोध का सिद्धांत (Principle of progressive realisation)

ICESCR का अनुच्छेद 2 सभी पक्षों पर कर्तव्य लगाता है:

“सभी उपयुक्त साधनों द्वारा, विशेष रूप से विधायी उपायों को अपनाने सहित, वर्तमान वाचा में दिए गए अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति को प्राप्त करने की दृष्टि से, इसके उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम ... के लिए कदम उठाएं।”

“take steps... to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures”

* इसे "प्रगतिशील प्राप्ति" के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यह स्वीकार करता है कि कुछ अधिकार (उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य का अधिकार) थोड़े समय में प्राप्त करने के लिए अभ्यास में मुश्किल हो सकता है, और यह हो सकता है कि राज्य संसाधन की कमी के अधीन हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने भीतर सर्वश्रेष्ठ के रूप में कार्य करने की आवश्यकता होती है उनके साधन।

This is known as the principle of "progressive realisation". It acknowledges that some of the rights (for example, the right to health) may be difficult in practice to achieve in a short period of time, and that states may be subject to resource constraints, but requires them to act as best they can within their means.

1. Labour rights (श्रम अधिकार)

ICESCR का अनुच्छेद 6 स्वतंत्र रूप से चुने गए या स्वीकृत कार्य के माध्यम से निर्वाह के साधन प्राप्त करने के लिए हर किसी के अवसर के रूप में परिभाषित किए गए कार्य के अधिकार को मान्यता देता है।

Article 6 of the Covenant recognizes the right to work as defined by the opportunity of everyone to gain a means of sustenance by means of freely chosen or accepted work.

अनुच्छेद 6 में उल्लिखित कार्य को सभ्य कार्य होना चाहिए। यह ICESCR के अनुच्छेद 7 द्वारा प्रभावी ढंग से परिभाषित किया गया है, जो सभी को "न्यायोचित और अनुकूल" कामकाजी परिस्थितियों के अधिकार को मान्यता देता है।

The work referred to in Article 6 must be decent work. This is effectively defined by Article 7 of the Covenant, which recognises the right of everyone to "just and favourable" working conditions.

अनुच्छेद 8 ट्रेड यूनियनों के गठन या शामिल होने के लिए श्रमिकों के अधिकार को मान्यता देता है और हड़ताल के अधिकार की रक्षा करता है।

Article 8 recognises the right of workers to form or join trade unions and protects the right to strike.

1. Right to social security (सामाजिक सुरक्षा का अधिकार) - Article 9 of the covenant
2. Right to family life (पारिवारिक जीवन का अधिकार) - Article 10 of the covenant
3. Right to an adequate standard of living (जीवन के पर्याप्त मानक का अधिकार) - Article 11 of the convenant talks about the right to adequate food, right to adequate housing and right to adequate clothing.

भारत "केवल विदेशी प्रभुत्व के तहत लोगों को लागू करने" के रूप में आत्मनिर्णय के अधिकार की व्याख्या करता है और राष्ट्र-राज्यों के भीतर लोगों पर लागू नहीं होता है।

India interprets the right of self-determination as applying "only to the peoples under foreign domination" and not to apply to peoples within sovereign nation-states.

It also interprets the limitation of rights clause and the rights of equal opportunity in the workplace within the context of its constitution.

Rights of Women and Child

* मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए नए सिरे से वैश्विक प्रतिबद्धता ने सरकारों को अपने लोगों की रक्षा करने के तरीके को बदल दिया है।

The renewed global commitment to the realization of human rights is transforming the way governments protect their people.

* यह हालिया सकारात्मक रुझान Convention on Rights of Child (CRC) और Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)में दिखाई देता है।

This recent positive trend is visible in the Convention on the Rights of the Child (CRC) and in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).

The Convention on the Rights of the Child (CRC)

* The CRC was adopted in 1989 and entered into force in 1990. As rights holders, children have active roles to play in the enjoyment of their rights and in helping to define how their rights are to be fulfilled.

सीआरसी समिति ने चार सीआरसी articles को 'आधार' सिद्धांतों के रूप में पहचाना है जो अन्य सभी concepts को रेखांकित करते हैं:

1. जीवन का अधिकार,
2. गैर-भेदभाव;
3. बच्चे के सर्वोत्तम हित; अस्तित्व एवं विकास;
4. बच्चे के विचार।

* The CRC Committee has identified four CRC articles as ‘foundation’ principles that underpin all other articles:

1. Non-discrimination;
2. Best interests of the child;
3. Right to life, survival and development;
4. Views of the child.

CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women)

* CEDAW 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। महिलाओं के अधिकारों के एक अंतर्राष्ट्रीय बिल के रूप में वर्णित, इसे 3 सितंबर 1981 को स्थापित किया गया था और 189 राज्यों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। कन्वेंशन की पुष्टि करने वाले पचास देशों ने 38 देशों सहित कुछ घोषणाओं, आरक्षणों और आपत्तियों के अधीन किया है। प्रवर्तन (enforcement) अनुच्छेद 29 को खारिज कर दिया, जो कन्वेंशन की व्याख्या या आवेदन से संबंधित विवादों के निपटान का साधन है।

The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) is an international treaty adopted in 1979 by the United Nations General Assembly. Described as an international bill of rights for women, it was instituted on 3 September 1981 and has been ratified by 189 states.Over fifty countries that have ratified the Convention have done so subject to certain declarations, reservations, and objections, including 38 countries who rejected the enforcement article 29, which addresses means of settlement for disputes concerning the interpretation or application of the Convention.

Important Provisions of CEDAW

* कन्वेंशन का एक समान प्रारूप है, Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, दोनों इसके मूल दायित्वों और इसके अंतर्राष्ट्रीय निगरानी तंत्रों के दायरे के संबंध में हैं। कन्वेंशन को छह भागों में संरचित किया गया है जिसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं।

The Convention has a similar format to the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, "both with regard to the scope of its substantive obligations and its international monitoring mechanisms". The Convention is structured in six parts with 30 articles total.

1. भाग I (अनुच्छेद 1-6) गैर-भेदभाव, सेक्स स्टीरियोटाइप और सेक्स ट्रैफिकिंग पर केंद्रित है।
2. भाग II (अनुच्छेद 7-9) सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों को रेखांकित करता है जिसमें राजनीतिक जीवन, प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीयता के अधिकारों पर जोर दिया गया है।
3. भाग III (अनुच्छेद 10-14) महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का वर्णन करता है, विशेष रूप से शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है। भाग III में ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा और उनके सामने आने वाली समस्याएं भी शामिल हैं।
4. भाग IV (अनुच्छेद 15 और 16) कानून के समक्ष समानता के अधिकार के साथ-साथ महिलाओं के विवाह और पारिवारिक जीवन में समानता के अधिकार को रेखांकित करता है।
5. भाग V (अनुच्छेद 17-22) महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर समिति के साथ-साथ राज्यों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया को स्थापित करता है।
6. भाग VI (अनुच्छेद 23-30) अन्य संधियों पर कन्वेंशन के प्रभावों, राज्यों की पार्टियों की प्रतिबद्धता और कन्वेंशन के प्रशासन का वर्णन करता है।

* Part I (Articles 1-6) focuses on non-discrimination, sex stereotypes, and sex trafficking.
* Part II (Articles 7-9) outlines women's rights in the public sphere with an emphasis on political life, representation, and rights to nationality.
* Part III (Articles 10-14) describes the economic and social rights of women, particularly focusing on education, employment, and health. Part III also includes special protections for rural women and the problems they face.
* Part IV (Article 15 and 16) outlines women's right to equality in marriage and family life along with the right to equality before the law.
* Part V (Articles 17-22) establishes the Committee on the Elimination of Discrimination against Women as well as the states parties' reporting procedure.
* Part VI (Articles 23-30) describes the effects of the Convention on other treaties, the commitment of the states parties and the administration of the Convention.

Optional Protocol वैकल्पिक प्रोटोकॉल of CEDAW

* Optional Protocol to the (CEDAW) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women कन्वेंशन का पक्ष समझौता, जो अपने दलों को व्यक्तियों के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने के लिए महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर समिति की क्षमता को पहचानने की अनुमति देता है। 6 अक्टूबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वैकल्पिक प्रोटोकॉल को अपनाया गया और 22 दिसंबर 2000 को लागू हुआ। वर्तमान में इसमें 80 हस्ताक्षरकर्ता और 109 पक्ष हैं।

Optional Protocol to the (CEDAW) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women a side-agreement to the Convention which allows its parties to recognise the competence of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women to consider complaints from individuals. The Optional Protocol was adopted by the UN General Assembly on 6 October 1999 and entered into force on 22 December 2000. Currently it has 80 signatories and 109 parties.

Complementary and Mutual Provisions of CRC and CEDAW (सीआरसी और CEDAW के पूरक और पारस्परिक प्रावधान)

* Committee on the Rights of the Child and the Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women में CRC और CEDAW के पूरक और पारस्परिक रूप से मजबूत प्रकृति पर जोर दिया है। दोनों अंतर्राष्ट्रीय covenants में व्यक्त मानव अधिकारों के सिद्धांतों पर आधारित हैं, और दोनों मानव अधिकारों को सार्वभौमिक, अविभाज्य और अन्योन्याश्रित मानते हैं। साथ में, वे जीवन चक्र में लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए एक दूरंदेशी रणनीति के लिए एक आवश्यक रूपरेखा बनाते हैं, और असमानता और भेदभाव को निर्णायक रूप से मिटाते हैं।

The Committee on the Rights of the Child and the Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women have emphasized the complementary and mutually reinforcing nature of CRC and CEDAW. Both are based on the principles of human rights as articulated in the International Covenants, and both reaffirm human rights as universal, indivisible and interdependent. Together, they form an essential framework for a forward-looking strategy to promote and protect the rights of girls and women throughout the life cycle, and decisively eradicate inequality and discrimination.

* वियना में आयोजित मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन (1993) ने महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों को "सार्वभौमिक मानव अधिकारों का एक अविच्छेद्य, अभिन्न और अविभाज्य अंग" घोषित किया। बीजिंग में आयोजित चौथे विश्व सम्मेलन की कार्रवाई के लिए मंच (1995) ने इसकी पुष्टि की और इन अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट उद्देश्यों और रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की।

The World Conference on Human Rights held in Vienna (1993) declared the human rights of women and girls as “an inalienable, integral and indivisible part of the universal human rights.” The Platform for Action of the Fourth World Conference on Women, held in Beijing (1995), reaffirmed this and outlined specific objectives and strategies for the implementation of these rights.

Protection of Human Rights, 1993

* मानवाधिकार अधिनियम, 1993 को 28 जनवरी 1993 को लागू किया गया था। मानवाधिकार आयोग विधेयक, 1993 के विषय पर विचार-विमर्श के बाद 14.05.93 को लोकसभा में पेश किया गया था और इसे संसद की स्थायी समिति को भेजा गया था। गृह मामले। इस मामले की तात्कालिकता को देखते हुए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार अध्यादेश, 1993 का संरक्षण 28.09.93 को पेश किया गया था। बाद में, 8.01.94 पर, मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम बनाया गया जो पूरे भारत में फैला हुआ है।

The Protection of Human Rights Act, 1993 was enforced on 28th January 1993. After having a deliberate discussion on the subject of Human Rights Commission Bill, 1993 was introduced in the Lok Sabha on 14.05.93 and was referred to the standing committee of Parliament on Home Affairs .In view of urgency of the matter, Protection of Human Rights Ordinance,1993 was introduced on 28.09.93 by the President of India. Later, on 8.01.94, the Protection of Human Rights Act was enacted which extends to whole of India.

मानवाधिकार (Human Rights)

* मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2 के संदर्भ में - "मानवाधिकार" का अर्थ है संविधान द्वारा प्रदत्त व्यक्ति की जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार या अंतर्राष्ट्रीय वाचाओं में सन्निहित और अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय।
* In terms of Section 2 of the Protection of Human Rights Act, 1993 -“Human Rights” means the rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the constitution or embodied in the International covenants and enforceable by courts in.

Key provisions of Protection of Human rights act 1993 (मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रमुख प्रावधान)

* अधिनियम के अध्याय II के तहत, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को धारा 2 उप खंड (ग) के तहत परिभाषित किया गया है और अधिनियम की धारा 3 के तहत स्थापित किया गया है। आयोग का गठन 3 सदस्य उप खंड (2) के प्रावधानों के तहत सदस्यों के रूप में किया जाएगा, जो कहते हैं कि एक अध्यक्ष होगा जो भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा, 2 सदस्य जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं और अन्य सदस्य एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे इसके अलावा दो अन्य सदस्य होंगे जिन्होंने मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम किया है। आयोग के अलावा अल्पसंख्यकों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग होगा।
* चेयरपर्सन की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री से सिफारिशें प्राप्त करने के बाद आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और सदस्यों की नियुक्ति लोक सभा के अध्यक्ष, गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, नेता के परामर्श से की जाएगी। लोगों की सभा में विपक्ष, राज्यों की परिषद में विपक्ष के नेता और राज्यों की परिषद के उपाध्यक्ष। अध्यक्ष पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो और सदस्य पांच वर्ष के लिए पद धारण करेंगे और पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। अधिनियम सेवाओं, वेतन, भत्ता और अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की शर्तों को भी नियंत्रित करता है।
* अधिनियम का अध्याय III शक्तियों और कार्यों से संबंधित है, आयोग ने 12 से 16 खंडों में निपटाया। आयोग को मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में मुकदमा करने के अधिकार दिए गए हैं। आयोग उन मामलों में भी कार्रवाई करेगा जहां पीड़ित ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए एक आवेदन दायर किया है। आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय XXVI के सभी उद्देश्यों के लिए एक सिविल कोर्ट माना जाएगा। सरकारी अधिकारी की धारा 14 के तहत मदद लेते हुए आयोग को जांच शक्तियों से सम्मानित किया जाता है।
* अध्याय IV आयोग की नोटिस में शिकायत आने के बाद प्रक्रिया से संबंधित है। आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की सूचना मिलने के बाद इस मामले में पूछताछ करेगा।
* Under chapter II of the Act, the National Human Rights Commission is defined under section 2 sub clause (c) and established under section 3 of the Act. The Commission shall be constituted of members as laid under provisions of section 3 sub clause (2) which lay that there shall be a Chairperson who shall be a retired chief justice of India, 2 members who have been a judge in the Supreme Court and other member shall be chief Justice of a High Court apart from this there shall be two other members who have worked in the field of human rights. Apart from the Commission there shall be a National Commission for minorities and National Commission for women.
* The members of Commission shall be appointed by the President after obtaining recommendations from Prime Minister for appointment of chairperson and the members shall be appointed in consultation with Speaker of the House of the People, Minister in-charge of the Ministry of Home Affairs, Leader of the Opposition in the House of the People, Leader of the Opposition in the Council of States and Deputy Chairman of the Council of States. The Chairperson shall hold office till a period of five years or till obtaining seventy years of age, whichever is earlier and the members shall be hold office for five years and shall be eligible for reappointment. The act also regulates the conditions of services, salaries, allowance and appointment of additional staff.
* Chapter III of the Act deals with powers and functions of the Commission dealt in sections 12 to 16. The commission is granted powers to suo-motu look into matter concerning violation of human rights. The commission shall also take action in cases where victim has filed an application for violation of human rights.The Commission shall be deemed to be a civil court for all the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973. The Commission is bestowed with investigation powers while taking help of government officer’s under section 14.
* Chapter IV deals with the procedure after a complaint has come into notice of Commission. The Commission shall after receiving a notice of violation of human rights shall inquire into the matter.

National Human Rights Commission and it’s main functions (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और इस आयोग के मुख्य कार्य)

* अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि केंद्र सरकार उक्त अधिनियम के तहत इसकी पुष्टि करने और उसे सौंपे जाने वाली शक्तियों का प्रयोग करने के लिए 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' के रूप में जानी जाने वाली संस्था का गठन करेगी। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक स्वायत्त सार्वजनिक निकाय है जिसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकारों के संरक्षण अध्यादेश के तहत किया गया था। इसे मानवाधिकार अधिनियम, 1993 (PHRA) द्वारा वैधानिक आधार दिया गया था। । NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था है, जो मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है, जिसे अधिनियम द्वारा "जीवन, स्वतंत्रता, समानता और संविधान द्वारा प्रदत्त व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकारों या अंतर्राष्ट्रीय वाचाओं में सन्निहित" के रूप में परिभाषित किया गया है। आयोग, अर्थात् निम्नलिखित में से सभी या कोई भी कार्य करेगा: -

क) अपनी शिकायत पर या पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत पर-

i) मानवाधिकारों का हनन या हनन या

ii) एक सार्वजनिक सेवक द्वारा इस तरह के उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही;

ख) ऐसी अदालत के अनुमोदन के साथ अदालत के समक्ष लंबित मानवाधिकारों के उल्लंघन के किसी भी आरोप को शामिल करने वाली किसी भी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना;

ग) राज्य सरकार के नियंत्रण में राज्य सरकार, किसी भी जेल या किसी अन्य संस्थान में, जहां व्यक्तियों को हिरासत में लिया जाता है या बंद किया जाता है, उपचार, सुधार या संरक्षण के लिए कैदियों की जीवित स्थिति का अध्ययन करता है और सिफारिशें करता है। उसमें;

d) मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए या उनके प्रभावी क्रियान्वयन के उपायों की सिफारिश करने के लिए संविधान या किसी कानून के तहत या उसके तहत सुरक्षा उपायों की समीक्षा करें;

ई) आतंकवाद के कृत्यों सहित कारकों की समीक्षा करें, जो मानव अधिकारों के आनंद को रोकते हैं और उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करते हैं;

च) मानव अधिकारों पर संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों का अध्ययन और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना;

छ) मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य करना और उसे बढ़ावा देना;

ज) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार किया और प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दिया;

i) मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना;

j) ऐसे अन्य कार्य जो मानवाधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक हो सकते हैं

Sec 3 of the Act provides that the Central Government shall constitute a body known as the ‘National Human Rights Commission’ to exercise powers confirmed upon and assigned to it under the said act. The National Human Rights Commission (NHRC) of India is an autonomous public body constituted on 12 October 1993 under the Protection of Human Rights Ordinance of 28 September 1993. It was given a statutory basis by the Protection of Human Rights Act, 1993 (PHRA). The NHRC is the national human rights institution, responsible for the protection and promotion of human rights, defined by the Act as “rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the Constitution or embodied in the International Covenants”. The Commission shall, perform all or any of the following functions, namely:-

a) Inquire, on its own initiative or on a petition presented to it by a victim or any person on his behalf, into complaint of-

i ) violation of human rights or abetment or

ii) negligence in the prevention of such violation, by a public servant;

b) intervene in any proceeding involving any allegation of violation of human rights pending before a court with the approval of such court;

c) visit, under intimation to the State Government, any jail or any other institution under the control of the State Government, where persons are detained or lodged for purposes of treatment, reformation or protection to study the living condition of the inmates and make recommendations thereon ;

d) review the safeguards by or under the Constitution or any law for the time being in force for the protection of human rights and recommend measures for their effective implementation;

e) review the factors, including acts of terrorism that inhibit the enjoyment of human rights and recommend appropriate remedial measures;

f) study treaties and other international instruments on human rights and make recommendations for their effective implementation;

g) undertake and promote research in the field of human rights;

h) spread human rights literacy among various sections of society and promote awareness of the safeguards available for the protection of these rights through publications, the media, seminars and other available means;

i) encourage the efforts of non - Governmental organizations and institutions working in the field of human rights;

j) such other functions as it may consider necessary for the promotion of human rights

The National Human Rights Commission (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग)

NHRC में निम्न शामिल हैं:

* एक चेयरपर्सन
* एक सदस्य जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, या है
* एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, या है
* मानवाधिकारों से संबंधित मामलों के ज्ञान, या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों में से दो सदस्य नियुक्त किए जाने हैं

इसके अलावा, चार राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्षों (1.Minorities 2.SC 3.ST 4.Women) के पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं

The NHRC consists of:

* Chairperson
* One Member who is, or has been, a Judge of the Supreme Court of India
* One Member who is, or has been, the Chief Justice of a High Court
* Two Members to be appointed from among persons having knowledge of, or practical experience in, matters relating to human rights

In addition, the Chairpersons of four National Commissions of (1.Minorities 2.SC 3.ST 4.Women) serve as ex officio members.